


**47वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट  
2015-2016**

**47<sup>th</sup> ANNUAL ASSESSMENT REPORT  
2015-2016**



सत्यमेव जयते

**भारत सरकार  
Government of India  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय  
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs**

हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु बनाए गए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के संबंध में

## 47 वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

2015-16

### 47<sup>th</sup> ANNUAL ASSESSMENT REPORT

2015-16

**Regarding Programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and its implementation**

भारत सरकार

**Government of India**

राजभाषा विभाग

**Department of Official Language**

गृह मंत्रालय

**Ministry of Home Affairs**



सत्यमेव जयते

## CONTENTS

	Page No.
<b>FOREWORD</b>	ii
<b>CHAPTER-1</b>	<b>Official Language Policy of the Union.....</b>
	1-3
<b>CHAPTER-2</b>	<b>Part-A: Data regarding Implementation of the Official Language Policy received from various Ministries/Departments/Offices for the year 2015-16.....</b>
	4-33
	<b>Part-B: Assessment of implementation of the Official Language Policy in Ministries/ Departments and their Attached /Subordinate offices, Corporations, Undertakings and Banks etc., during 2015-16.....</b>
	34-36
<b>CHAPTER-3</b>	<b>Shortcomings noticed in the implementation of the Official Language Policy, remedial measures for removing them and suggestions for better implementation of the Official Language Policy.....</b>
	37-38

# विषय-सूची

पृष्ठ सं.

प्राककथन .....	ii
अध्याय-1 संघ की राजभाषा नीति.....	1-3
अध्याय-2 भाग-क: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2015-16 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े.....	4-33
भाग-ख: मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों और बैंकों आदि द्वारा वर्ष 2015-16 में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का मूल्यांकन.....	34-36
अध्याय-3 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां, उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव.....	37-38

## **FOREWORD**

Under the Article 343 of the Constitution, Hindi shall be the Official Language of the Union. Article 351 says it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. As per section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and other Reports, Press Communiqués, Administrative and other reports and official papers to be laid before a House or Houses of Parliament, contract, agreements, licensees, permits, tender notices and forms of tenders shall be issued bilingually, both in Hindi & English. The Official Language Resolution was passed by both the Houses of Parliament in December, 1967 and was circulated vide Ministry of Home Affairs O.M.No. 5/8/65-O.L. dated 18<sup>th</sup> January, 1968. It was resolved that “a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an Annual Assessment report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament and sent to all State Governments”. Annual Programme for the year 2015-2016 was sent for compliance to all the offices of the Central Government by the Department of Official Language. Besides, concerted efforts for implementing the provisions of the Annual Programme, were also made throughout the year. The present assessment report is based on the analysis of information, data and progress reports received from various Ministries/Departments etc.

Continuous efforts have been made by the Ministries/Departments of the Central Government to accelerate the use of Official Language Hindi in their Attached/Subordinate offices, Undertakings, Corporations, Banks etc., also. As a result, there has been improvement in the progressive use of Hindi in many spheres in the year 2015-2016 as compared to the year 2014-2015. However, targets laid down for many items in the Annual Programme for the year 2015-2016 could not be achieved. In such cases, attention of the concerned offices was drawn towards the deficiencies on receipt of the quarterly reports and at the time of inspection of the Ministries/Departments, Undertakings, Attached and Subordinate offices etc.

Constant watch was kept on the progress of implementation through the Hindi Advisory Committee of the Ministries/Departments, their Official Language Implementation Committees, Official Language Implementation Committees of Attached/Subordinate offices, Undertakings and Banks as well as various Town Official Language Implementation Committees.

Sustained efforts were made in the field of translation work, training of officers/employees including Hindi /Hindi typing/Hindi shorthand to typists/stenographers. Though desired success could not be achieved in a number of offices, our efforts continue. During 2015-2016 a number of training programmes for the officers/officials of the Central Govt. Ministries/departments/ undertakings/banks etc on computers in Hindi were also organized by the Department of Official Language.

The position regarding the implementation of the Official Language during 2015-2016 in various Ministries/Departments/Offices has been given in Chapter-2 of this report. It is expected that in the ensuing years, concerned offices would not only remove the deficiencies mentioned in this report but also make substantial progress.

The 46<sup>th</sup> Annual Assessment Report for the year 2014-2015 was prepared and laid on the table of both the houses of Parliament. This is the 47<sup>th</sup> report in the series for the year 2015-2016. We believe that this assessment will help to give right direction to the progressive use of Hindi and its use will gain momentum.

June, 2017

**Department of Official Language  
Ministry of Home Affairs, Government of India  
New Delhi**

## प्राक्कथन

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 351 में यह उल्लिखित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार-प्रसार का संवर्धन एवं इसका विकास करे ताकि यह भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रैस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन अथवा सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टों, संविदाओं, करारों, परमिटों, निविदा सूचनाओं, निविदा प्रपत्रों को द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में दिसंबर, 1967 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया था जो गृह मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी, 1968 के का.जा. संख्या 5/8/65-रा.भा. द्वारा परिचालित किया गया था। यह संकल्प किया गया था कि “हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वयन किया जाएगा तथा इस संबंध में किए गए उपायों एवं प्रगति का व्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी”। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के अनुपालन के लिए भेज दिया गया था। इसके साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम में की गई व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए पूरे वर्ष गहन प्रयत्न भी किए गए। वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों तथा प्रगति रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, नियमों, बैंकों आदि में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कई क्षेत्रों में हिंदी के प्रगमी प्रयोग में सुधार हुआ है। तथापि, 2015-16 के वार्षिक कार्यक्रम में कई मदों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में तिमाही रिपोर्टों के प्राप्त होने पर तथा मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों आदि में निरीक्षणों के समय संबंधित कार्यालयों का ध्यान कमियों की ओर आकर्षित किया जाता रहा है।

मंत्रालयों/ विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों, उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों के साथ ही विभिन्न बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रगति पर निरंतर नज़र रखी गई।

अनुवाद कार्य के क्षेत्र में, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने और टंककों/आशुलिपिकों को ऋग्मशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित करने के बारे में निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। हालांकि कई कार्यालयों में आशानुकूल सफलता नहीं मिली है, फिर भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों, तथा बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति दी गई है। यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में संबंधित कार्यालय इस रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को न केवल दूर करेंगे बल्कि पर्याप्त प्रगति भी करेंगे।

इससे पूर्व वर्ष 2014-15 की 46वीं मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। उसी क्रम में अब वर्ष 2015-16 की 47वीं रिपोर्ट प्रस्तुत है। हमें विश्वास है कि यह मूल्यांकन हिंदी के प्रगमी प्रयोग को उचित दिशा देने में सहायक होगा तथा इससे हिंदी के प्रयोग में और तेजी आएगी।

जून, 2017

राजभाषा विभाग  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार  
नई दिल्ली

## CHAPTER-1

### THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

#### Constitutional Position

According to Article 343(1) of the Constitution, Hindi in Devanagari script is the Official Language of the Union. However, clause 2 of Article 343 provided continued use of English for official purposes of the Union for a period of 15 years from the commencement of the Constitution i.e., till 26<sup>th</sup> January, 1965. It further provided that during the said period, the President may, by an order, authorize the use of Hindi, in addition to English, for any work specified in such order. Article 343(3) empowered Parliament by law to provide for the continued use of the English language for specified official purposes even after 26<sup>th</sup> January, 1965. In exercise of this authority the Official Languages Act, 1963 was passed enabling continued use of English beyond the said 15 years for the official purposes of the Union.

Article 344 of the Constitution provided for constituting a Commission by the President after the expiration of five years from the commencement of the Constitution and thereafter after 10 years from such commencement, consisting of a Chairman and such other members representing the different languages mentioned in the VIII schedule of the Constitution

The Commission was required to make recommendations to the President regarding -

- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restriction of the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
- (c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;
- (d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;
- (e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the Official Language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

In making recommendations, the Commission should have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and just claims and interests of persons belonging to the non-hindi speaking areas in regard to the public services.

The Article 344 further provided for constituting a committee consisting of 30 members of Parliament - 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha elected respectively by the members of two Houses in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote.

The Committee was mandated to examine the recommendations of the Commission and to report to the President their opinion thereon.

The Official Language Commission was appointed in 1955 and it submitted its report in 1956. A Committee of Parliament was constituted in 1957 to examine the recommendations of the Commission. After considering the recommendations of the committee, a comprehensive Presidential order, dated 27<sup>th</sup> April, 1960 was issued.

#### Official Languages Act, 1963

With a view to giving effect to the recommendation of the Official Language Commission and the Parliamentary Committee for the continued use of English, Parliament passed the Official Languages Act, 1963, which was subsequently amended in 1967. Some of the important provisions of the amended Act are as follows:

(1) According to Section 3(1) of the Act, even after 26<sup>th</sup> January, 1965, the English Language may continue to be used in addition to Hindi, (a) for all official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and (b) for the transaction of business in Parliament.

(2) English shall be used for correspondence between Central Government and a State which has not adopted Hindi as its official language unless the later has accepted the use of Hindi for this purpose.

## अध्याय-१

### संघ की राजभाषा नीति

#### संविधानिक स्थिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा 2 में 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान किसी आदेश द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त इस आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी विनिर्दिष्ट शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। इस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिसमें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को 15 वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 344 में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे।

आयोग द्वारा राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित के विषय में सिफारिश करनी थी:-

- (क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रगमी प्रयोग,
- (ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन,
- (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
- (घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
- (ड.) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए कोई अन्य विषय।

अपनी सिफारिशों करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

समिति को आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति जी को उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था।

सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उसने अपना प्रतिवेदन 1956 में प्रस्तुत किया। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति की स्थापना की गई। संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति जी का विस्तृत आदेश जारी किया गया।

#### राजभाषा अधिनियम, 1963

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की सिफारिश को कार्यरूप देने के लिए सन् 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसे बाद में 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं-

- (1) अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार (क) संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 के पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।
- (2) केंद्र सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, जब तक कि उस राज्य ने उसके लिए हिंदी का प्रयोग करना स्वीकार न कर लिया हो।

Similarly, Governments of Hindi-speaking States would correspond with such States in English and if any communication is sent in Hindi, it shall be accompanied by an English translation thereof. However, there would be no objection to any two States corresponding in Hindi, with mutual consent.

(3) Hindi in prescribed proportions will be used for communication between the Central Government offices etc., but in region 'C' a translation in the English language shall be provided until staff in the offices concerned acquired a working knowledge of Hindi.

(4) According to Section 3(3) of the Act, the use of both Hindi and English is obligatory for the following documents:-

1. Resolutions 2.General Orders 3.Rules 4. Notifications 5. Administrative and other Reports 6.Press-Communiques 7. Official papers to be laid before a house or Houses of Parliament 8. Contracts 9. Agreements 10. Licenses 11.Permits 12.Tender notices and 13. Forms of tender.

(5) According to Section 3(4), while framing rules under the Act, it shall be ensured that a Central Government employee who has proficiency in only one language- either Hindi or English can function effectively, and that he is not placed at a disadvantage on the ground that he does not have proficiency in both the languages.

(6) Section 3(5) of the Act provides that provisions relating to the use of English for the various purposes mentioned above shall remain in force until legislatures of all such States which have not adopted Hindi as their official language, have passed a resolution for the discontinuance of the use of English and until after considering these resolutions, a resolution to that effect is also passed by each House of Parliament.

(7) Section 4 of the Act provides for the Constitution of a Committee of Parliament on Official Language after 26<sup>th</sup> January, 1975. The Committee shall comprise 30 members 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. It shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report making recommendations to the President. This Committee was constituted in 1976 and is functioning at present. Presidential orders on the 9th part of the report of the committee have been issued on 31.03.2017.

(8) According to Section 7 of the Act, the Governor of a State may, with the prior consent of the President, authorize the use of Hindi or the official language of the State, in addition to the English language, for the purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for the State. However, where any judgement, decree or order is passed or made in language other than the English language, it shall be accompanied by a translation of the same in the English language, issued under the authority of the High Court. So far the Governors of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar have obtained the President's consent and authorized the use of Hindi in the High Courts for these States.

#### Official Language Resolution, 1968

In December, 1967, both the Houses of Parliament adopted a Resolution on the Official Language Policy of the Government which was notified on 18<sup>th</sup> January, 1968. According to para 1 of the Resolution, the Central Government is required to prepare and implement a more intensive and comprehensive programme for accelerating the spread and development of Hindi as also to ensure its progressive use for the official purposes of the Union. The Central Government is also required to lay an Annual Assessment Report on the Table of both Houses of Parliament giving details of measures taken and the progress achieved in this regard. Necessary action in this regard has been taken continuously and presently 47<sup>th</sup> report is being presented in the series.

#### Official Languages Rules, 1976

In exercise of the powers conferred by the Official Languages Act, 1963, the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976 were framed in the year 1976. The framing of these Rules is a very important step towards the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. Some important provisions of these rules are as follows:-

(a) Communication from a Central Government office to a State located in region 'A' (viz. The States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand and the Union Territories of Delhi and Andaman & Nicobar Islands) or to any office (other than a Central Government office) or a person residing therein shall be in Hindi. If in any exceptional case, any communication is sent in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof.

इसी प्रकार हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें भी ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिंदी में भेजती हैं तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक सहमति से यदि कोई दो राज्य आपसी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए निर्धारित अनुपात में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन 'ग' क्षेत्र में तब तक पत्रादि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा जब तक संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें।

(4) अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है:-

1. संकल्प 2. सामान्य आदेश 3. नियम 4. अधिसूचनाएं 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट 6. प्रेस विज्ञप्तियाँ 7. संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात 8. संविदाएं 9. करार 10. अनुज्ञाप्तियाँ 11. अनुज्ञा पत्र 12. टेंडर नोटिस और 13. टेंडर फार्म।

(5) धारा 3 (4) के अनुसार, अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण होने पर भी अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर उसका कोई अहित न हो कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है।

(6) अधिनियम की धारा 3 (5) में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न कर लें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दे।

(7) उक्त अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी, 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से 20 लोक सभा सदस्य और 10 राज्य सभा सदस्य होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे और अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। समिति का वर्ष 1976 में गठन किया गया था और यह इस समय कार्यरत है। समिति की रिपोर्ट के 9वें खंड पर दिनांक 31.03.2017 को राष्ट्रपति जी का आदेश जारी कर दिया गया है।

(8) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि, यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया गया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने राष्ट्रपति जी की सहमति ले ली है और अपने-अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है।

### राजभाषा संकल्प, 1968

दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी पारित किया जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया। संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करेगी। केंद्र सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उनमें हुई प्रगति का व्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों के पाठ्य प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में निरंतर कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में 47वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

### राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1976 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। नियमों के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं:-

(क) केंद्र सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, झारखण्ड राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय (केंद्र सरकार के कार्यालय के अलावा) या वहां रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी विशेष मामले में, कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

- (b) Communications from a Central Government office to a State located in region 'B' (viz the States of Punjab, Gujarat and Maharashtra and the Union Territory of Chandigarh, and Dadra and Nagar Haveli) shall ordinarily be in Hindi. If any such communication is sent in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof. However, communication to any person residing in these States may be in Hindi or English. However, according to the targets fixed in the Annual Programme, communications are required to be sent in Hindi to the individuals in region 'B' also.
- (c) Communications from a Central Government office to any person or office in a State located in region 'C' (viz., all States and Union Territories not covered in Regions 'A' & 'B') shall be in English. If any such communication is sent in Hindi, it will be accompanied by the English translation thereof.
- (d) Communications between one Ministry or Department of the Central Government and another may be in Hindi or in English. However, communication between a Ministry/Department of the Central Government and the Attached and Subordinate Offices located in Region 'A' shall be in Hindi in such proportion as the Government may prescribe from time to time.
- (e) Communications received in Hindi shall compulsorily be replied in Hindi. Whenever any application, appeal or representation is received in Hindi or is signed in Hindi, reply thereto is also to be sent in Hindi.
- (f) Both Hindi & English shall be used for all documents, specified in Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and it shall be the responsibility of the Officer signing such documents to ensure that these are issued both in Hindi and English.
- (g) A Central Government employee may use either Hindi or English for noting on files without being required to furnish a translation thereof in the other language.
- (h) All manuals, codes, rules, and other procedural literature relating to Central Government offices, shall be prepared and published both in Hindi and English in diglot form. All forms and headings of registers, name plates, stamps, notice-boards and other items of stationery etc., shall also be in Hindi and English.
- (i) Names of offices, where 80 percent or more of the staff possess working knowledge of Hindi shall be notified under Rule 10(4) of the Official Languages rules 1976 in the official gazette. Further, in the offices so notified, staff who have attained proficiency in Hindi may by order be asked to use only Hindi for noting/drafting and such other purposes as specified in the order, under Rule 8(4) of the Official Languages rules 1976.
- (j) It shall be the responsibility of the Administrative Head of every office to ensure that the provisions of the Official Languages Act and the Rules are properly complied with and suitable and effective check-points for the purpose in their offices are devised.

The Official Language Policy of the Union is based on the constitutional and statutory provisions mentioned above and its implementation is ensured by issuing orders/ instructions from time to time.

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली) को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा, तथापि इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं। तथापि, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ख' क्षेत्र में व्यक्तियों को भी पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं।

(ग) केंद्र सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क और ख क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(घ) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। तथापि, केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा।

(ड.) हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा।

(च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

(छ) केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों में टिप्पण लिखने में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

(ज) केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, नियम और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे। सभी प्रपत्रों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, मुहरें, सूचनापट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मर्दे भी हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक जान प्राप्त है, उन्हें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करके टिप्पण/मसौदा लेखन और आदेश में विर्निदिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

(ज) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे और अपने कार्यालय में उपर्युक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाए।

संघ की राजभाषा नीति उपर्युक्त सांविधानिक और सांविधिक प्रावधानों पर आधारित है और समय-समय पर आदेश/अनुदेश जारी करके राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

## Chapter-2

### Part-A

**Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of Official Language policy have been received  
for the year 2015-16**

<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>	<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>
1.	<b>Department of Space</b>	28.	<b>Ministry of Parliamentary Affairs</b>
2.	<b>Ministry of Coal</b>	29.	<b>Ministry of Information and Broadcasting</b>
3.	<b>Ministry of Mines</b>	30.	<b>Cabinet Secretariat</b>
4.	<b>Ministry of Social Justice &amp; Empowerment</b>	31.	<b>Ministry of Food Processing Industries</b>
5.	<b>Department of Personnel &amp; Training</b>	32.	<b>Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries &amp; Public Enterprises</b>
6.	<b>Department of Pension &amp; Pensioners Welfare</b>	33.	<b>Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries &amp; Public Enterprises</b>
7.	<b>Department of Administrative Reforms &amp; Public Grievances</b>	34.	<b>Ministry of Steel</b>
8.	<b>Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</b>	35.	<b>Ministry of New and Renewable Energy</b>
9.	<b>Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</b>	36.	<b>Ministry of Power</b>
10.	<b>Ministry of Home Affairs</b>	37.	<b>D/o Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare Ministry of Agriculture and Farmers Welfare</b>
11.	<b>Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation</b>	38.	<b>Department of Agricultural Research &amp; Education</b>
12.	<b>Department of Atomic Energy</b>	39.	<b>Indian Council of Agricultural Research</b>
13.	<b>Ministry of Environment, Forest and Climate change</b>	40.	<b>Department of Animal Husbandry, Dairies and Fisheries</b>
14.	<b>Ministry of Human Resource Development</b>	41.	<b>Ministry of Statistics &amp; Programme Implementation</b>
15.	<b>Ministry of Earth Science</b>	42.	<b>Department of Indian Accounts &amp; Audit</b>
16.	<b>NITI Aayog</b>	43.	<b>Ministry of Shipping</b>
17.	<b>Ministry of Railways (Railway Board)</b>	44.	<b>Ministry of Road Transport and Highways</b>
18.	<b>Ministry of External Affairs</b>	45.	<b>National Highway Authority of India</b>
19.	<b>Legislative Department, Ministry of Law and Justice</b>	46.	<b>Ministry of Civil Aviation</b>
20.	<b>Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice</b>	47.	<b>Department of chemicals and Petro chemicals, Ministry of Chemicals &amp; Fertilizers</b>
21.	<b>Department of Expenditure, Ministry of Finance</b>	48.	<b>Department of Fertilizer, Ministry of Chemicals &amp; Fertilizers</b>
22.	<b>Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance</b>	49.	<b>Department of Pharmaceuticals , Ministry of Chemicals &amp; Fertilizers</b>
23.	<b>Department of Revenue, Ministry of Finance</b>	50.	<b>Dept. of Defence, Deptt. of Defence Research &amp; Development and Ex-servicemen Welfare, Ministry of Defence</b>
24.	<b>Department of Economic Affairs, Ministry of Finance</b>	51.	<b>Ministry of Defence (Finance)</b>
25.	<b>Department of Financial Services, Ministry of Finance</b>	52.	<b>Deptt. of Defence Production</b>
26.	<b>Ministry of Health and Family welfare</b>	53.	<b>Dept. of Supply, Ministry of Commerce &amp; Industries</b>
27.	<b>Ministry of AYUSH</b>	54.	<b>Department of Supply, DGS&amp;D (HQ)</b>

## अध्याय-2

### भाग-क

**मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2015-16 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं।**

कोड सं.	मंत्रालय / विभाग	कोड सं.	मंत्रालय / विभाग
1.	अंतरिक्ष विभाग	28	संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	कोयला मंत्रालय	29	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
3.	खान मंत्रालय	30	मंत्रिमंडल सचिवालय
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	31	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	32	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
6.	पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग	33	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
7.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	34	इस्पात मंत्रालय
8.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	35	नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	36	विद्युत मंत्रालय
10.	गृह मंत्रालय	37	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
11.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	38	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
12.	परमाणु ऊर्जा विभाग	39	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	40	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
14.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	41	सांखियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
15.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	42	भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग
16.	नीति आयोग	43	पोत परिवहन मंत्रालय
17.	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	44	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय
18.	विदेश मंत्रालय	45	भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण
19.	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	46	नागर विमानन मंत्रालय
20.	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	47	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
21.	व्यव विभाग, वित्त मंत्रालय	48	उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
22.	निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय	49	औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
23.	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	50	रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
24.	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	51	रक्षा मंत्रालय (वित्त)
25.	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	52	रक्षा उत्पादन विभाग
26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	53	पूर्ति विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
27.	आयुष मंत्रालय	54	पूर्ति विभाग, डी जी एस एंड डी (मुख्यालय)

## **Chapter 2 (Contd....)**

### **Part A**

**Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of Official Language policy have been received  
for the year 2015-16**

<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>	<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>
<b>55</b>	<b>Department of Industrial Policy and Promotion</b>	<b>70</b>	<b>Ministry of Culture</b>
<b>56</b>	<b>Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology</b>	<b>71</b>	<b>Ministry of Tribal Affairs</b>
<b>57</b>	<b>Dept. of Bio-Technology, Ministry of Science and Technology</b>	<b>72</b>	<b>Election Commission of India</b>
<b>58</b>	<b>Department of Scientific and Industrial Research Ministry of Science and Technology</b>	<b>73</b>	<b>Ministry of Panchayati Raj</b>
<b>59</b>	<b>Ministry of Textile</b>	<b>74</b>	<b>Ministry of Youth Affairs and Sports</b>
<b>60</b>	<b>Ministry of Urban Development</b>	<b>75</b>	<b>Ministry of North-Eastern Region Development</b>
<b>61</b>	<b>Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation</b>	<b>76</b>	<b>Ministry of Minority Affairs</b>
<b>62</b>	<b>Department of Telecommunication, Ministry of Communication</b>	<b>77</b>	<b>Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises</b>
<b>63</b>	<b>Ministry of Electronics and Information Technology</b>	<b>78</b>	<b>Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>
<b>64</b>	<b>Department of Post, Ministry of Communication</b>	<b>79</b>	<b>Ministry of Corporate Affairs</b>
<b>65</b>	<b>Ministry of Labour and Employment</b>	<b>80</b>	<b>Ministry of Women and Child Development</b>
<b>66</b>	<b>Union Public Service Commission</b>	<b>81</b>	<b>Ministry of Drinking Water and Sanitation</b>
<b>67</b>	<b>Department of Rural Development, Ministry of Rural Development</b>		
<b>68</b>	<b>Department of Land Resources, Ministry of Rural Development</b>		
<b>69</b>	<b>Ministry of Tourism</b>		

## अध्याय-2 (जारी.....)

### भाग-क

**मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, जिनसे वर्ष 2015-16 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं।**

कोड सं.	मंत्रालय/ विभाग	कोड सं.	मंत्रालय/ विभाग
55	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	70	संस्कृति मंत्रालय
56	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	71	जनजातीय कार्य मंत्रालय
57	बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	72	भारत निर्वाचन आयोग
58	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	73	पंचायती राज मंत्रालय
59	वस्त्र मंत्रालय	74	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
60	शहरी विकास मंत्रालय	75	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
61	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	76	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
62	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	77	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
63	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	78	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
64	डाक विभाग, संचार मंत्रालय	79	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
65	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	80	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
66	संघ लोक सेवा आयोग	81	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
67	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय		
68	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय		
69	पर्यटन मंत्रालय		

कोड सं./क्षेत्र	मंत्रालय / विभाग और उसके संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों का नाम	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात		हिंदी में पत्राचार			
Code No/ Region	Name of Min/Dept and its attached / subordinate Offices	कुल संख्या	केवल अंग्रेजी में	कल हिंदी में प्राप्त पत्र	हिंदी में दिए गए उत्तर	अंग्रेजी में दिए गए उत्तर	हिंदी में भेजे गए पत्र
		Total No.	Only in English	Total no. of letters received	Letters replied to in Hindi	Letters replied to in English	Letters issued in Hindi
		(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)	(क)
		(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(a)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	(ग) अंतरिक्ष विभाग (सचिवालय) (C) Deptt. Of Space (Secretariat)	576	0	1169	1109	0	2825
1.1	(ख) अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, अहमदाबाद (B) Space Application Centre, Ahmadabad	7497	0	451	302	0	21486
1.2	(ग) अंतरिक्ष विभाग के केंद्र (C) Centre of Deptt. Of Space	35931	0	3005	2296	0	9557
2	(क) कोयला मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Coal (H.Q)	3128	0	2685	2685	0	8090

**विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2015-16 की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े**

मूल पत्राचार (तार/टेलेक्स/फैक्स सहित)		टंकक/ आशुलिपिक						इलेक्ट्रॉनिक/ यांत्रिक उपकरण आदि			कोड/ मैनुअल/फार्म/ प्रकाशन आदि			राजभाषा कार्यान्वय समिति की बैठकें	
अंग्रेजी में भेजे गए पत्र		कुल सं. जो हिंदी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं जो अंग्रेजी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं जो दोनों जानते हैं कल कार्य की तुलना में हिंदी कार्य का प्रतिशत						कुल संख्या			देवनागरी द्विभाषी कुल संख्या			द्विभाषी केवल अंग्रेजी में हिंदी में	
Correspondence Telegram/Telex/Fax		Typist/ Stenographers						Mechanical/ Electronic equipments etc.			Code/ Manuals/ Forms/Publications etc			Meetings of OLIC	
Letters issued in English	Letters issued bilingually	Total No.	Hindi typing/ Steno-graphy knowing	English typing/ Steno-graphy knowing	Knowing both	Percentag of Hindi work	Total No.	Deva nagari	Bilingual	Total No.	Bilingual	Only in English	Only in Hindi		
(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)		
(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(d)		
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	
467	2021	146	121	146	121	83	368	2	285	174	171	0	3	4	
4273	11613	224	203	224	203	91	398	2	357	448	425	9	14	4	
24605	40828	1284	1171	1281	1171	91	3185	2	3185	926	856	44	27	4	
4645	0	8	0	0	8	71	116	116	116	20	20	0	0	2	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2.1	(क) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Coal	53370	0	292090	231787	0	575560
2.2	(ख) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Coal	30849	112	28119	28119	0	32931
2.3	(ग) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Coal	35722	2	17137	13522	0	90809
3	(क) खान मंत्रालय (A) Ministry of Mines	1076	0	1890	0	0	7129
3.1	(क) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Office under Ministry of Mines	4339	0	29728	15916	0	52834
3.2	(ख) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Office under Ministry of Mines	1759	0	21136	15783	0	49436
3.3	(ग) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Office under Ministry of Mines	1424	0	5532	4228	30	43712
4	(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (A) M/o Social Justice & Empowerment	5648	1743	3112	2924	188	7578
5	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Dept. of Personnel & Training.	27493	0	7893	0	0	16932
5.1	(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय (A) Office of Deptt of Personnel and Training	6315	2283	7159	3859	162	20566
6	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Dept of pension and pensioners welfare	17	0	674	674	0	6100
7	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Dept. of Administrative Reforms and Public Grievances	844	0	419	419	0	2769

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
99857	31428	1757	0	523	1646	93.6	8671	8635	8535	1008	791	15	200	4
29709	3222	84	0	19	65	75	423	423	423	119	118	0	1	4
66908	2495	1010	0	904	458	45.3	5037	5037	5037	963	436	482	8	4
5222	0	19	10	9	10	53	152	0	152	26	26	0	0	4
10446	86	142	92	82	40	28	1295	0	1157	1215	763	157	294	4
16810	160	109	76	36	45	41	585	421	421	166	156	9	1	4
37527	145172	201	125	77	50	25	1560	1145	1145	647	473	173	1	4
7008	0	29	9	29	9	31	290	290	290	13	13	0	0	1
39396	27119	74	16	58	0	0	693	690	690	316	316	0	0	1
28439	8097	114	15	86	80	70	599	530	310	298	294	4	0	4
2100	6100	9	0	5	4	44	58	0	54	43	43	0	0	4
3981	0	20	6	6	14	25	113	1	113	25	25	0	0	0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
8	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (मु.) (A) Ministry of consumer Affairs, Food & Public Distribution,Dept. Of Food & Public Distribution (HQ)	10967	0	5447	2296	0	41846
8.1	(क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Food & Public Distribution	1467	0	24941	9981	0	113363
8.2	(ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Food & Public Distribution	65	0	78	46	0	924
8.3	(ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Food & Public Distribution	139	0	194	87	0	3632
9	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग (मु.) (A) Ministry of consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. of Consumer Affairs (H.Q)	7808	0	1836	0	0	16378
9.1	(क) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	791	0	4322	4322	0	70964
9.2	(ग) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	6315	0	81	65	0	1279
10	(क) गृह मंत्रालय (A) Ministry of Home Affairs	640	0	24211	23107	0	42774
10.1	(क) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Home Affairs	401391	554	1516174	1322627	3450	2055789
10.2	(ख) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Home Affairs	41438	3337	76108	58535	564	74926
10.3	(ग) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Home Affairs	26429	4	201701	154220	349	259773
11	(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (मु0) (A) M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (HQ)	5279	0	3013	0	0	28616
11.1	(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (HQ)	4484	75	44054	42759	0	104596

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
11711	0	40	37	3	37	0	405	0	405	27	26	0	1	4
21804	0	121	0	0	121	0	1209	0	1209	183	181	0	2	4
866	0	2	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4
2226	0	3	1	0	2	0	14	0	14	0	0	0	0	4
5531	0	15	15	15	15	100	117	0	117	19	19	0	0	4
18767	0	68	58	10	63	93	645	625	645	925	846	79	0	4
3536	1500	5	5	5	5	100	53	14	14	1	1	0	0	4
24969	0	278	109	83	167	60	1529	1529	1529	155	155	0	0	4
703951	61678	3115	1554	1561	1634	52	13226	6421	6421	32430	15377	17053	0	4
31754	3470	513	220	474	220	43	644	388	388	32430	0	0	0	4
79650	742	691	526	165	526	76	1827	377	377	1456	1448	8	0	4
15258	28616	73	13	60	13	18	330	330	330	92	92	0	0	3
37586	18871	183	170	180	151	83	1317	41	1317	371	369	2	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
11.2	(ख) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Water Resources, River Devlopment & Ganga Rejuvenation (HQ)	477	0	996	934	0	8509
11.3	(ग) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Water Resources, River Devlopment & Ganga Rejuvenation (HQ)	150	0	243	206	0	1249
12	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (मु.) (B) Deptt. of Atomic Energy (Hq.)	1934	0	6019	902	0	34270
12.1	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट//उपक्रम /संस्थान (A) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	29918	857	9448	4913	0	268505
12.2	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (B) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	73539	265	39089	19643	2	127433
12.3	(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (C) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	62383	2222	11353	6845	2	54800
13	(क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Environment & Forest(HQ)	12395	0	6326	4713	0	90136
13.1	(क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यालय कार्यालय (A) Offices under M/o Environment & Forest	4239	0	11057	9634	0	18652
13.2	(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यालय कार्यालय (B) Offices under M/o Environment & Forest	3261	0	4317	3254	0	2532
13.3	(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यालय कार्यालय (C) Offices under M/o Environment & Forest	1673	0	2417	1394	0	4235
14	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (A) Deptt. of Higher Education, M/o H R D	18013	0	4740	4740	0	42726
14.1	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Higher Education, M/o H R D	80681	75775	40392	38286	2106	179245
14.2	(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Higher Education, M/o H R D	26825	18980	1001	739	262	48100

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
3094	978	39	20	20	23	59	333	333	333	63	63	0	0	4
859	150	16	14	16	14	88	44	44	44	37	30	0	7	1
21276	0	50	0	50	33	0	366	366	366	78	78	0	0	4
127252	25916	329	0	329	282	63.93	4455	3888	3877	777	766	4	7	4
117495	77669	1032	0	1032	933	61.39	9686	8511	8100	2162	1983	166	13	4
81156	11396	695	0	695	291	42.65	8961	8613	8553	2595	2415	168	12	4
56654	5427	81	67	14	67	83	627	398	398	104	104	0	0	3
23931	2327	219	165	49	160	73	7098	6057	6057	219	219	0	0	4
7629	1813	63	36	29	24	38	1672	781	781	102	102	0	0	4
11219	2752	107	36	69	73	68	794	794	418	331	331	0	0	4
41883	0	108	45	63	0	0	832	0	832	40	40	0	0	4
83900	0	1346	790	556	0	0	1098	0	1098	3254	3254	0	0	4
39001	0	126	93	33	0	0	399	0	399	115	115	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14.3	(ग) उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Higher Education, M/o H R D	12655	9112	304	304	0	2101
15	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (A) Ministry of Earth Science	5248	0	3774	0	0	8402
16	(क) नीति आयोग (A) NITI AYOG	4182	0	2644	1586	0	5012
16.1	(क) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (A) Offices under NITI AYOG	950	0	4355	1940	0	3564
16.2	(ख) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (B) Offices under NITI AYOG	2816	745	940	463	0	1816
16.3	(ग) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (C) Offices under NITI AYOG	1094	760	740	372	0	832
17	(क) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (A) Ministry of Railways (Railway Board)	8852	0	37579	37579	0	54585
17.1	(क) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Railways	30327	0	1292767	1292767	0	1147318
17.2	(ख) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Railways	91400	0	203570	203570	0	466101
17.3	(ग) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Railways	149697	0	47161	47161	0	2278385
18	(क) विदेश मंत्रालय (A) Ministry of External Affairs	3647	0	1167	1167	0	5486
19	(क) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय (A) Legislative Department, M/o Law & Justice	5620	0	5035	5035	0	9872
20	(क) विधि कार्य विभाग (मु0), विधि और न्याय मंत्रालय (A) Department of Legal Affairs (HQ), M/o Law & Justice	4604	0	5883	5883	0	17319

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
11080	0	73	40	33	0	0	333	0	333	28	28	0	0	4
3192	0	14	12	2	12	86	183	1	180	50	40	0	0	4
10434	0	266	28	102	136	51	740	631	631	63	63	0	0	4
1556	733	29	0	17	12	41	133	125	125	74	19	39	16	3
647	1274	8	0	7	1	13	21	16	16	0	0	0	0	0
1864	964	8	0	7	1	13	31	0	26	0	0	0	0	4
16104	0	312	237	75	0	0	2347	0	2347	737	611	1	125	4
1111241	0	5197	5098	99	0	0	17460	0	17436	183482	183260	222	0	4
434177	0	1579	1559	20	0	0	8089	0	8089	68490	66791	1699	0	4
205497	0	5973	3158	2614	0	0	16467	0	16418	84987	82562	2425	0	4
7000	0	180	59	101	20	11	1025	1025	1025	44	25	19	0	2
953	5620	65	51	32	48	74	231	0	231	41	41	0	0	4
10630	0	188	124	188	124	66	300	2	300	99	99	0	0	3

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
20.1	(क) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Legal Affairs	120	0	8921	4904	0	38954
20.2	(ख) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Legal Affairs	298	0	14510	11321	0	56164
20.3	(ग) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Legal Affairs	2613	0	1561	631	0	9532
21	(क) व्यय विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Expenditure (HQ), Ministry of Finance	4276	0	6267	3702	0	20390
21.1	(क) व्यय विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Expenditure	2835	0	2373	1487	0	180392
22	(क) निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय (A) D/o of Investment and Public Asset Mgmt. M/o Finance	653	0	213	213	0	2948
23	(क) राजस्व विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Revenue (HQ), Ministry of Finance	11369	0	4690	3212	0	38165
23.1	(क) राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Revenue	56631	0	592934	5701	0	7450773
24	(क) आर्थिक कार्य विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Economic Affairs (HQ), Ministry of Finance	7826	0	8035	3523	0	33978
24.1	(क) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Economic Affairs	2046	0	8519	7925	0	22529
24.2	(ख) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1428	0	7032	5140	0	27718
24.3	(ग) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1513	0	795	581	0	5024
25	(क) वित्तीय सेवाएं विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Financial Services (HQ), Ministry of Finance	5321	0	12170	12170	0	51177
25.1	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (मुद्यालय) (B) State Bank of India(HQ)	1197	0	9697	9697	0	136228

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
1724	240	71	52	71	52	73	141	2	141	178	121	15	42	4
10541	283	94	36	94	36	38	214	1	214	142	140	0	2	4
25721	4775	61	33	61	33	54	176	1	142	235	213	22	0	3
10099	0	78	10	28	40	64.1	352	1	333	107	107	0	0	4
0		34	2	32	2	11.76	731	45	689	69	69	0	0	4
605	653	9	4	5	0	0	52	0	52	31	31	0	0	4
12192	25973	138	43	95	0	0	946	0	946	105	105	0	0	0
2093754	7449739	3082	81	1927	0	0	27788	0	24914	1104	1017	58	0	4
33721	67709	22	14	8	10	45	720	0	720	110	110	0	0	4
3546	46	54	33	21	13	24	678	0	678	412	412	0	0	4
21766	19864	75	51	24	19	25	1478	0	1478	993	993	0	0	4
3399	8227	37	19	18	12	32	318	0	318	430	430	0	0	4
8558	0	12	6	12	6	50	362	0	362	49	49	0	0	4
15959	0	25	25	25	25	91	1786	0	1786	77	76	0	1	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.1.1	(क) भारतीय स्टेट बैंक (A) State Bank of India	34159	0	1296570	1296570	0	3067995
25.1.2	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (B) State Bank of India	12824	0	286799	286799	0	1228629
25.1.3	(ग) भारतीय स्टेट बैंक (C) State Bank of India	16262	0	172420	172420	0	921682
25.2	(क) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (मुख्यालय) (A) State Bank of Hyderabad (HQ)	1560	0	3475	2608	0	13991
25.2.1	(क) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (A) State Bank of Hyderabad	492	0	8879	7456	0	17668
25.2.2	(ख) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (B) State Bank of Hyderabad	2388	0	11941	9659	0	71250
25.2.3	(ग) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (C) State Bank of Hyderabad	5715	0	43364	38529	0	198024
25.3	(क) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (मुख्यालय) (A) United Bank of India (HQ)	795	0	1440	1440	0	11424
25.3.1	(क) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (A) United Bank of India	323	0	14947	14947	0	43025
25.3.2	(ख) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (B) United Bank of India	80	0	965	965	0	8767
25.3.3	(ग) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (C) United Bank of India	1197	0	8833	8833	0	123440
25.4	(क) इलाहाबाद बैंक (मुख्या.) (A) Allahabad Bank(HQ)	605	0	15874	15874	0	20734
25.4 .1	(क) इलाहाबाद बैंक (A) Allahabad Bank	12628	0	564818	564818	0	845625

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
272759	0	71	71	71	71	91.83	51304	0	51304	692	685	0	7	4
187550	0	133	133	133	133	86.75	41972	0	41972	692	691	0	1	4
772850	0	102	102	102	102	54.39	66520	0	66520	692	692	0	0	4
14759	11530	126	126	126	126	100	638	2	638	253	253	0	0	4
3295	11592	36	36	36	36	100	471	2	471	58	58	0	0	4
45419	57652	1331	1331	1331	1331	100	1862	2	1862	58	58	0	0	4
185938	91109	6022	6022	6022	6022	100	3577	2	3577	253	253	0	0	4
13553	23016	0	0	0	0	0	881	2	881	82	80	0	2	4
5286	28683	0	0	0	0	0	3556	2	3556	63	63	0	0	4
2511	5845	0	0	0	0	0	1495	0	1495	41	41	0	0	4
125262	185160	0	0	0	0	0	12911	2	12911	82	80	0	2	4
10738	0	0	0	0	0	0	567	2	567	138	138	0	0	4
63573	0	0	0	0	0	0	13256	2	13256	198	196	2	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.4 .2	(ख) इलाहाबाद बैंक (B) Allahabad Bank	1231	0	19884	19884	0	86280
25.4.3	(ग) इलाहाबाद बैंक (C) Allahabad Bank	1697	0	11419	11419	0	96354
25.5	(क) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (मुख्यालय) Oriental Bank of Commerce (HQ)	1027	0	45200	45200	0	114857
25.5.1	(क) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (A) Oriental Bank of Commerce	8446	0	194509	194509	0	383123
25.5.2	(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (B) Oriental Bank of Commerce	2334	0	98155	98155	0	174626
25.5.3	(ग) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (C) Oriental Bank of Commerce	966	0	9688	9688	0	15451
25.6	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) EXIM Bank (HQ)	145	0	2110	1427	0	8017
25.6.1	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (A) EXIM Bank	9	0	157	143	0	648
25.6.2	(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (B) EXIM Bank	163	0	2223	1423	0	8767
25.6.3	(ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (C) EXIM Bank	15	0	241	40	0	1011
25.7	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of India (HQ)	1589	0	12313	10192	0	784796
25.7.1	(क) बैंक ऑफ इंडिया (A) Bank of India	3205	0	461349	413921	0	1683598
25.7.2	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (B) Bank of India	2073	0	327029	291720	0	1354527

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
12445	0	0	0	0	0	0	2653	0	2653	139	138	1	0	4
73764	0	0	0	0	0	0	7574	2	7574	198	196	2	0	4
13798	0	0	0	0	0	0	735	1	735	239	239	0	0	4
34481	0	0	0	0	0	0	10075	1	10075	239	239	0	0	4
17456	0	0	0	0	0	0	5573	1	5573	239	239	0	0	4
6944	0	0	0	0	0	0	2779	1	2779	239	239	0	0	4
4340	13036	0	0	0	0	0	442	2	442	87	81	6	0	4
247	965	0	0	0	0	0	25	2	25	87	81	6	0	4
4768	14302	0	0	0	0	0	469	2	469	87	81	6	0	4
1892	1648	0	0	0	0	0	49	2	49	87	81	6	0	4
31547	816343	86	5	0	81	94	933	2	933	754	753	0	753	4
59108	1103211	1963	14	0	1949	99	13358	2	13358	892	892	0	0	4
159914	1122130	2861	80	0	2781	97	12847	2	12847	967	966	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.7.3	(ग) बैंक ऑफ इंडिया (C) Bank of India	2400	0	64255	52972	0	39387
25.8	(ग) यूको बैंक (प्रधान कार्यालय) (C) UCO Bank (HQ)	834	0	1286	1286	0	45449
25.8.1	(क) यूको बैंक (A) UCO Bank	7614	0	88990	72753	0	207322
25.8.2	(ख) यूको बैंक (B) UCO Bank	4090	0	43874	36517	0	83071
25.8.3	(ग) यूको बैंक (C) UCO Bank	4359	0	17437	14796	0	106357
25.9	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) SIDBI (HQ)	193	0	1063	1063	0	4634
25.9.1	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (A) SIDBI	207	0	1523	1523	0	7600
25.9.2	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (B) SIDBI	547	0	2314	2314	0	12468
25.9.3	(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (C) SIDBI	24	0	427	427	0	5184
25.1	(ख) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मुख्या.) (B) Central Bank of India (HQ)	351	0	18108	18108	0	77741
25.10.1	(क) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (A) Central Bank of India	22534	0	1359100	1359100	0	1951228
25.10.2	(ख) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (B) Central Bank of India	7756	0	298257	298257	0	655736
25.10.3	(ग) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (C) Central Bank of India	2877	0	104534	104534	0	103806

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
135236	201387	814	1	0	813	100	8505	2	8505	729	729	0	0	4
21452	0	1	1	0	0	0	832	3	830	86	85	0	1	4
64590	56327	0	0	0	0	0	9498	9498	0	100	100	0	0	4
51924	29388	0	0	0	0	0	3610	3610	0	103	103	0	0	4
194340	158631	0	0	0	0	0	9430	9430	0	103	103	0	0	4
198	2805	2	2	2	2	100	92	13	92	125	124	0	1	4
376	2602	6	6	6	6	100	345	13	345	125	124	0	1	4
2416	8745	10	10	10	10	100	444	13	444	125	124	0	1	4
1989	5541	3	3	3	3	100	219	13	219	125	124	0	1	4
8011	16289	1	1	0	1	100	869	0	869	167	167	0	0	4
46422	47272	20	20	0	0	100	14302	0	14302	543	543	0	0	4
57219	20669	23	23	0	23	100	9207	0	9207	236	236	0	0	4
229859	340547	2	2	0	2	100	8328	0	8328	287	287	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.11	(ख) बैंक आफ महाराष्ट्र (मुख्या.) (B) Bank of Maharashtra(HQ)	2580	0	4567	3484	0	10972100
25.11.1	(क) बैंक आफ महाराष्ट्र (A) Bank of Maharashtra	16757	0	72501	54595	0	238124
25.11.2	(ख) बैंक आफ महाराष्ट्र (B) Bank of Maharashtra	48943	0	153165	100938	0	2161733
25.11.3	(ग) बैंक आफ महाराष्ट्र (C) Bank of Maharashtra	4225	0	10284	4800	0	60907
25.12	(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या.) (A) NABARD (HQ)	1300	0	14765	11402	0	0
25.12.1	(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (A) NABARD	1023	0	29778	16300	0	65844
25.12.2	(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (B) NABARD	402	0	3771	1305	0	20800
25.12.3	(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (C) NABARD	602	0	6269	2470	0	40000
25.13	(क) आन्धा बैंक (मुख्यालय) (A) Andhra Bank (HQ)	454	0	2375	1782	0	0
25.13.1	(क) आन्धा बैंक (A) Andhra Bank	682	0	28174	23385	0	0
25.13.2	(ख) आन्धा बैंक (B) Andhra Bank	627	0	7568	5827	0	0
25.13.3	(ग) आन्धा बैंक (C) Andhra Bank	1960	0	47369	37105	0	0
25.14	(क) पंजाब नेशनल बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab National Bank((HQ)	2184	0	66028	66028	0	187774

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
46375	0	1	1	1	1	100	330	4	330	554	554	0	0	4
31971	0	1	1	1	1	100	2941	4	2941	319	319	0	0	4
277309	0	1	1	1	1	100	7685	4	7685	554	554	0	0	4
50577	0	1	1	1	1	100	1323	4	1323	319	319	0	0	4
34627	97512	64	0	64	64	100	900	900	0	128	128	0	0	4
10921	15600	30	26	4	26	88	1211	0	0	128	128	0	0	4
6296	5006	35	32	3	32	78	622	0	0	128	128	0	0	4
19262	3471	53	41	12	41	72	1341	0	0	14	14	0	0	4
61874	46715	0	0	0	0	0	682	2	682	259	227	0	0	4
12904	63008	0	0	0	0	0	2233	2	2233	259	227	0	32	4
10279	34409	0	0	0	0	0	1462	2	1462	259	227	0	32	4
74723	192142	0	0	0	0	0	12672	2	12672	259	227	0	32	4
5224	0	0	0	0	0	0	2408	3	2408	1315	1315	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.14.1	(क) पंजाब नेशनल बैंक (A) Punjab National Bank	36445	0	1098709	1098709	0	1718237
25.14.2	(ख) पंजाब नेशनल बैंक (B) Punjab National Bank	9846	0	170891	170891	0	404276
25.14.3	(ग) पंजाब नेशनल बैंक (C) Punjab National Bank	422	0	38270	38270	0	209634
25.15	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab & Sind Bank (HQ)	310	0	8812	6031	0	109269
25.15.1	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (A) Punjab & Sind Bank	9123	0	153906	141302	0	480844
25.15.2	(ख) पंजाब एंड सिंध बैंक (B) Punjab & Sind Bank	7735	0	83391	79083	0	486773
25.15.3	(ग) पंजाब एंड सिंध बैंक (C) Punjab & Sind Bank	2832	0	16658	14161	0	22539
25.16	(ग) कार्पोरेशन बैंक (प्रधान कार्यालय) (C) Corporation Bank (HQ)	761	0	2215	2080	0	7136
25.16.1	(क) कार्पोरेशन बैंक (A) Corporation Bank	198	0	38671	36537	0	26072
25.16.2	(ख) कार्पोरेशन बैंक (B) Corporation Bank	248	0	28666	26212	0	35001
25.16.3	(ग) कार्पोरेशन बैंक (C) Corporation Bank	1259	0	10545	9203	0	45187
25.17	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (B) IDBI (HQ)	2511	0	3018	1002	0	32366
25.17.1	(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (A) IDBI	2740	0	30891	19152	0	115400

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
35406	0	0	0	0	0	0	35464	3	34464	1525	1513	0	12	4
19838	0	0	0	0	0	0	11103	3	11103	1329	1326	0	3	4
92938	0	0	0	0	0	0	8409	3	8409	1259	1251	0	8	4
12187	0	0	0	0	0	0	736	0	736	140	139	0	1	4
38862	0	2	2	2	2	100	5125	1	5125	38	37	0	1	4
36520	0	0	0	0	0	0	4640	1	4640	139	139	0	0	4
14378	0	0	0	0	0	0	1091	1	1091	37	37	0	0	4
24433	60402	234	213	234	213	91	955	1	955	544	525	14	5	4
10959	80557	2135	2045	2135	2045	96	5273	1	5273	535	521	14	0	4
10060	76480	2044	1855	2044	1855	91	6888	1	6888	535	521	14	0	4
68501	87355	4785	3844	4785	3844	80	15818	1	15818	535	521	14	0	4
2735	2814	92	92	92	92	92	1356	2	1356	112	111	0	1	4
9911	0	61	61	61	61	92	4773	2	4773	113	112	0	1	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.17.2	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (B) IDBI	5338	0	24965	8614	0	193028
25.17.3	(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (C) IDBI	2941	0	4782	1245	0	36435
25.18	(ग) इंडियन ओवरसीज बैंक (मुख्यालय) (C) Indian Overseas Bank (HQ)	906	0	2939	2939	0	42709
25.18.1	(क) इंडियन ओवरसीज बैंक (A) Indian Overseas Bank	4787	0	52883	52883	0	312191
25.18.2	(ख) इंडियन ओवरसीज बैंक (B) Indian Overseas Bank	2662	0	34523	34523	0	100746
25.18 .3	(ग) इंडियन ओवरसीज बैंक (C) Indian Overseas Bank	4552	0	11385	11385	0	291459
25.19	(ख) देना बैंक (मुख्यालय) (B) Dena Bank (HQ)	1797	0	3813	3813	0	41167
25.19.1	(क) देना बैंक (A) Dena Bank	1155	0	74962	65332	0	151338
25.19.2	(ख) देना बैंक (B) Dena Bank	10444	0	116769	1151153	0	316435
25.19.3	(ग) देना बैंक (C) Dena Bank	384	0	1614	1246	0	7213
25.2	(क) भारतीय रिजर्व बैंक (A) Reserve Bank of India	11404	0	57833	30101	0	365263
25.20.1	(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (B) Reserve Bank of India	4164	0	78580	66212	0	223938
25.20.2	(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (C) Reserve Bank of India	3409	0	5130	2460	0	116408

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
20627	54114	784	784	784	784	92	8748	2	8748	113	112	0	1	4
65305	92551	103	103	103	103	66	5237	2	5237	113	112	0	1	4
26517	0	152	78	152	78	51	805	805	805	503	489	13	1	4
30221	312191	2043	1832	2043	1832	90	5356	5356	5356	500	487	13	6	4
46177	100746	1812	1312	1812	1312	72	4162	4162	4162	500	487	13	0	4
228063	291459	8086	4123	8086	4123	51	17454	17454	17454	500	487	13	0	4
22415	41167	0	0	0	0	0	725	2	725	54	54	0	0	4
10167	151338	393	108	0	284	72	2858	2	2858	120	120	0	0	4
71789	316435	1153	1126	27	1126	98	4735	2	4735	2260	2260	0	0	4
6630	7213	599	498	101	498	83	1532	2	1532	129	129	0	0	4
26965	0	102	101	102	101	85	8209	0	8209	271	270	1	0	4
1321	0	38	38	38	38	90	3070	0	3070	7	7	0	0	4
34952	0	42	40	42	40	65	5828	0	5828	51	50	1	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.21	(क) केनरा बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Canara Bank (HQ)	1458	0	18183	18183	0	162134
25.21.1	(क) केनरा बैंक (A) Canara Bank	3600	0	183649	183649	0	415372
25.21.2	(ख) केनरा बैंक (B) Canara Bank	977	0	19704	19704	0	220190
25.21.3	(ग) केनरा बैंक (C) Canara Bank	8599	0	77347	77347	0	1317307
25.22	(ग) विजया बैंक (मुख्यालय) (C) Vijaya Bank	639	0	6192	5433	0	47645
25.22.1	(क) विजया बैंक (A) Vijaya Bank	3150	0	96146	67270	0	182992
25.22.2	(ख) विजया बैंक (B) Vijaya Bank	2781	0	24182	14669	0	109854
25.22.3	(ग) विजया बैंक (C) Vijaya Bank	6628	0	34125	14103	0	447587
25.23	(ख) बैंक ऑफ बड़ोदा (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of Baroda (HQ)	843	0	57008	43982	0	778741
25.23.1	(क) बैंक ऑफ बड़ोदा (A) Bank of Baroda	10773	0	3194168	2856241	0	3043367
25.23.2	(ख) बैंक ऑफ बड़ोदा (B) Bank of Baroda	10561	0	756123	714629	0	2898721
25.23.3	(ग) बैंक ऑफ बड़ोदा (C) Bank of Baroda	2348	0	82162	78569	0	281569
25.24	(ख) स्टेट बैंक आफ पटियाला (प्रधान कार्यालय) (B) State Bank of Patiala(HQ)	2380	0	4091	4034	0	123957

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
46981	0	0	0	0	0	0	1984	4	1984	2392	2252	134	6	4
22507	0	0	0	0	0	0	20343	4	20343	2392	2252	134	6	4
22634	0	0	0	0	0	0	10685	4	10685	2392	2252	134	6	4
477781	0	0	0	0	0	0	39373	4	39373	2392	2252	134	6	4
14829	0	24	24	24	24	100	860	2	860	336	335	0	1	4
15668	0	24	24	24	24	100	2570	2	2570	336	335	0	10	4
12467	0	58	58	58	58	100	2555	2	2555	336	335	0	1	4
263403	0	124	124	124	124	100	8084	2	8084	336	335	0	1	4
65566	21189	41	41	41	41	100	1224	9	1224	220	184	0	36	4
125963	681412	184	184	184	184	100	18935	9	18935	531	519	0	12	4
63257	659748	192	192	192	192	100	16830	9	16830	526	503	0	23	4
186351	116254	30	30	30	30	100	9255	9	9255	315	315	0	0	4
15021	4	1	0	0	0	0	0	0	0	616	616	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.24.1	(क) स्टेट बैंक आफ पटियाला (A) State Bank of Patiala	1028	0	1037	1037	0	47338
25.24.2	(ख) स्टेट बैंक आफ पटियाला (B) State Bank of Patiala	1207	0	2084	0	0	69032
25.24.3	(ग) स्टेट बैंक आफ पटियाला (C) State Bank of Patiala	145	0	978	978	0	2474
25.25	(ग) सिंडिकेट बैंक (प्रधान कार्यालय) (C) Syndicate Bank (HQ)	557	0	14198	11926	0	290613
25.25.1	(क) सिंडिकेट बैंक (A) Syndicate Bank	14921	0	71041	68199	0	276758
25.25.2	(ख) सिंडिकेट बैंक (B) Syndicate Bank	1649	0	24499	20579	0	157726
25.25.3	(ग) सिंडिकेट बैंक (C) Syndicate Bank	9810	0	34707	26377	0	670183
25.26	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (A) Union Bank of India (HQ)	3712	0	35546	24466	0	146538
25.26.1	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (A) Union Bank of India	18396	0	710701	342799	0	596381
25.26.2	(ख) यूनियन बैंक आफ इंडिया (B) Union Bank of India	10060	0	203745	74420	0	307488
25.26.3	(ग) यूनियन बैंक आफ इंडिया (C) Union Bank of India	9600	0	91748	17120	0	115145
25.27	(ग) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर (प्रधान कार्यालय) (C) State Bank of Travancore(HQ)	526	0	634	609	0	678
25.27.1	(क) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (A) State Bank of Travancore	107	0	789	781	0	1097

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
4892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616	0	0	4
6038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616	0	0	4
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616	0	0	4
144395	0	27	27	27	27	72	848	0	848	453	452	0	1	4
29743	0	32	32	32	32	75	8610	0	8610	454	454	0	0	4
22183	0	30	30	30	30	70	4640	0	4640	449	449	0	0	4
395467	0	114	102	114	102	66	19471	0	19471	475	474	0	1	4
13713	97691	0	0	0	0	0	1176	2	1176	415	408	0	7	4
37783	397587	0	0	0	0	0	13251	2	13251	456	408	0	48	4
65311	153745	0	0	0	0	0	9429	2	9429	438	408	0	30	4
209342	172714	0	0	0	0	0	9209	2	9209	454	408	0	46	4
4216	5124	0	0	0	0	0	595	0	595	656	656	0	0	4
965	1187	0	0	0	0	0	431	0	431	656	656	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.27.2	(ख) स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर (B) State Bank of Travancore	97	0	654	645	0	981
25.27.3	(ग) स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर (C) State Bank of Travancore	615	0	1089	1069	0	1105
25.28	(ग) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (प्रधान कार्यालय) (C) State Bank of Mysore(HQ)	1702	0	4919	3188	0	0
25.28.1	(क) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (A) State Bank of Mysore	41	0	1276	1015	0	0
25.28.2	(ख) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (B) State Bank of Mysore	52	0	569	491	0	0
25.28.3	(ग) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (C) State Bank of Mysore	2271	0	8123	6312	0	0
25.29	(क) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (प्रधान कार्यालय) (A) State Bank of Bikaner & Jaipur (HQ)	1281	0	40545	40545	0	3476678
25.29.1	(क) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (A) State Bank of Bikaner & Jaipur	1910	271341	271341	0	382	3461
25.29.2	(ख) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (B) State Bank of Bikaner & Jaipur	58	0	1485	1485	0	6004
25.29.3	(ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (C) State Bank of Bikaner & Jaipur	51	0	718	718	0	3092
25.3	(ग) इंडियन बैंक (मुख्यालय) (C) Indian Bank (HQ)	580	0	1294	1294	0	114870
25.30.1	(क) इंडियन बैंक (A) Indian Bank	1584	0	26291	26291	0	33429
25.30.2	(ख) इंडियन बैंक (B) Indian Bank	994	0	7631	7631	0	86584

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
785	1033	0	0	0	0	0	427	0	427	656	656	0	0	4
4981	8352	0	0	0	0	0	11253	0	11253	656	656	0	0	4
25143	46505	0	0	0	0	0	481	3	481	58	58	0	0	4
4318	24009	0	0	0	0	0	321	3	321	22	22	0	0	4
2774	8334	0	0	0	0	0	471	3	471	22	22	0	0	4
53126	31698	0	0	0	0	0	7744	3	7744	58	58	0	0	4
88257	0	0	0	0	0	0	995	0	995	771	767	0	4	4
155099	0	0	0	0	0	0	9614	0	9614	771	767	0	4	4
1089	0	0	0	0	0	0	696	0	696	0	0	0	0	1
1149	0	0	0	0	0	0	522	522	0	0	0	0	0	0
65417	114870	2	2	0	0	0	939	1	939	366	246	13	0	4
3343	33429	0	0	0	0	0	3674	1	3674	260	247	13	0	4
20332	86584	0	0	0	0	0	2471	1	2471	236	223	3	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.30.3	(ग) इंडियन बैंक (C) Indian Bank	4120	0	12156	12156	0	235163
25.31	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (मुख्यालय) (A) National Housing Bank (HQ)	288	0	1462	1462	0	1533
25.31.1	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (A) National Housing Bank	0	0	59	59	0	0
25.31.2	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (B) National Housing Bank	0	0	225	225	0	0
25.31.3	(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (C) National Housing Bank	0	0	159	159	0	0
25.32	(क) दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) The Oriental Insurance Co. Ltd	1803	0	21051	21051	0	25370
25.32.1	(ख) दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) The Oriental Insurance Co. Ltd	768	0	4758	4758	0	13226
25.32.2	(ग) दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) The Oriental Insurance Co. Ltd	385	0	2926	2926	0	3575
25.34	(ग) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) United India Insurance Co. Ltd.	113	0	101979	101979	0	350897
25.35	(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम (B) General Insurance Company of India	323	0	191	191	0	2186
25.36	(क) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (A) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	41153	0	16733	13625	0	6295
25.36.1	(ख) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (B) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	18013	0	2785	1809	0	1791
25.36.2	(ग) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (C) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	36231	0	2129	1027	0	2128

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
128439	235163	2	2	0	0	0	15581	1	15581	370	250	13	0	4
1447	8367	0	0	0	0	0	350	150	350	85	85	0	0	4
21	72	0	0	0	0	0	2	2	2	85	85	0	0	0
229	745	0	0	0	0	0	12	2	12	85	85	0	0	0
10	230	0	0	0	0	0	13	2	13	85	85	0	0	0
3956	0	2122	2010	8	104	95	4455	0	4455	266	165	0	0	4
3526	0	987	866	106	25	90.27	3654	0	3654	21	19	2	2	4
2076	0	1222	1093	129	0	89.44	4168	0	4168	24	22	2	2	4
50158	0	6420	3979	1517	924	38.12	6150	0	6150	458	430	0	28	4
651	0	0	0	0	0	0	476	0	0	113	111	0	2	4
1584	0	0	0	0	0	0	268	0	268	46	46	0	0	4
671	0	0	0	0	0	0	84	0	84	46	46	0	0	4
1496	0	0	0	0	0	0	139	0	139	46	46	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
25.37	(क) नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) (A) National Insurance Co. Ltd. (HQ)	1223	0	45600	42466	0	87886
25.37.1	(क) नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड (A) National Insurance Co. Ltd.	429	4	3087	1539	0	61270
25.37.2	(ख) नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड (B) National Insurance Co. Ltd.	1272	0	695	455	0	1754
25.38	(ख) दि न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड (मुख्यालय) (B) The New India Assurance Co. Ltd. (HQ)	3855	0	160011	160011	0	735904
25.38.1	(क) दि न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड (A) The New India Assurance Co. Ltd.	578	0	126936	126936	0	313000
25.38.2	(ख) दि न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड (B) The New India Assurance Co. Ltd.	2742	0	31335	31335	0	384536
25.38.3	(ग) दि न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड (C) The New India Assurance Co. Ltd.	535	0	1740	1740	0	28368
25.39	(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (B) Life Insurance Corporation of India	22072669	0	1737878	1737878	0	96739756
26	(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Health & Family Welfare (HQ)	17475	0	16506	13408	1195	38810
26.1	(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Health & Family Welfare	24129	12905	27997	13350	5	74783
26.2	(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Health & Family Welfare	553	0	1451	989	0	2196
26.3	(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Health & Family Welfare	17774	7767	3700	3408	137	8845
27	(क) आयुष मंत्रालय (A) Ministry of AYUSH	5301	0	2458	2180	0	4381
27.1	(क) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of AYUSH	21211	0	21139	12139	0	46182

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
28092	624	227	216	195	36	35/25	2243	1862	0	1054	306	186	562	4
64403	11410	297	296	296	296	41.1/42	1665	1665	0	175	152	17	6	4
13439	1512	41	16	13	12	0	2969	2087	0	181	99	74	8	4
143526	592378	0	0	0	0	0	15605	0	15605	2	1	0	1	4
36556	276444	0	0	0	0	0	3423	0	3423	161	159	0	2	4
84304	300232	0	0	0	0	0	7636	0	7636	161	159	0	2	4
22666	15702	0	0	0	0	0	4546	0	4546	161	159	0	2	4
8421815	0	837	0	438	399	47.67	104033	104033	0	49326	47374	1952	0	4
44104	0	106	43	63	15	14	1001	0	1001	82	60	22	0	4
123640	26470	394	203	450	210	53	2898	383	2632	1394	1138	141	105	4
3065	4126	11	8	11	15	136	375	1	375	98	83	8	7	4
25449	13234	350	107	303	98	28	1578	7	1662	2058	1521	537	0	4
3628	4381	16	8	14	9	56	276	1	276	51	51	0	0	3
65391	46182	76	59	76	59	78	423	2	411	84	28	0	56	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
27.2	(ख) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of AYUSH	282	0	562	562	0	1870
27.3	(ग) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of AYUSH	1305	118	81	44	37	2621
28	(क) संसदीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Parliamentary Affairs	598	0	8124	6902	0	5901
29	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Information & Broadcasting (HQ)	12004	0	6217	6217	0	26380
29.1	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	111637	0	133519	127487	0	460330
29.2	(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	78718	0	57131	46595	0	86731
29.3	(ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	32833	0	27628	14174	13454	76548
30	(क) मंत्रिमंडल सचिवालय (A) Cabinet Secretariat	5356	0	3685	2401	0	10052
31	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (A) Ministry of Food Processing Industries	864	0	50	50	0	642
31.1	(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Food Processing Industries	15	0	20	20	0	0
32	(क) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रा. (A) D/o Heavy Industries, M/o Heavy Indust. & Pub. Entp.	2801	0	1738	1003	0	3980
32.1	(क) भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Heavy Industries	4356	0	3810	2748	1098	6141
32.2	(ग) भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Heavy Industries	2538	0	2205	2137	0	7692
33	(क) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (A) D/o Public Enterprises, M/o Heavy Ind. & Public Entp.	397	0	590	590	0	0

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
2511	1870	6	6	6	6	100	34	4	30	1	1	0	0	4
1732	2621	18	8	18	8	44	449	4	2	17	10	7	0	3
1863	8557	24	23	24	23	96	105	4	105	23	23	0	0	4
11421	14959	64	0	35	35	100	307	307	307	160	160	0	0	4
66423	95486	370	0	129	289	78.11	2950	2808	2787	1501	1368	72	49	4
24514	5759	245	0	56	199	81.22	1474	1367	1290	931	907	0	24	4
37129	5894	409	0	176	241	58.92	3168	3135	2987	851	825	0	26	4
27682	7701	47	13	34	13	29	148	148	148	44	44	0	0	4
692	0	4	4	0	4	100	136	0	136	104	104	0	0	4
0	0	31	6	25	3	10	40	0	40	30	30	0	0	4
13278	0	9	9	9	9	100	294	1	294	50	50	0	0	4
15939	1436	58	50	55	43	74	927	0	914	1202	2344	209	200	4
7533	5485	108	26	91	72	67	875	1	242	1867	1290	801	109	4
5791	14266	12	9	12	9	75	47	0	47	14	14	0	0	1

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
34	(क) इस्पात मंत्रालय (A) Ministry of Steel	978	0	3600	3600	0	17862
34.1	(क) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Steel	121225	0	170878	167632	0	380557
34.2	(ख) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Steel	6182	0	4232	3414	0	25899
34.3	(ग) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Steel	18764	0	21583	20267	0	117193
35	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of New and Renewable Energy (HQ)	1114	0	808	633	0	6904
35.1	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o New and Renewable Energy	398	0	344	114	0	10173
35.2	(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o New and Renewable Energy	118	0	16	20	0	20
35.3	(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o New and Renewable Energy	72	0	45	34	0	2443
36	(क) विद्युत मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Power (HQ.)	2606	0	2174	2174	0	2857
36.1	(क) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Power	6536	0	63672	48772	0	263368
36.2	(ख) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Power	139013	0	338225	266618	0	478734
36.3	(ग) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Power	5902	0	2577	1407	0	12093
37	(क) कृषि एवं सहकारिता विभाग (मु.), कृषि मंत्रालय (A) Deptt. of Agri. & Co-operation (HQ), M/o Agriculture	8619	0	16785	12576	0	38648
37.1	(क) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Agriculture & Co-operation	7885	0	21556	11403	0	23506
37.2	(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Agriculture & Co-operation	156	0	943	633	0	1854

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
3255	0	26	26	26	26	100	210	0	210	23	23	0	0	4
39465	13258	498	294	309	463	93	11234	0	11234	1543	1460	6	77	4
4734	13821	59	36	31	24	41	370	0	370	512	507	0	5	4
80802	14169	969	552	636	624	64	7889	0	7889	3378	3364	0	14	4
2439	0	23	15	17	17	65	349	0	349	39	39	0	0	3
1865	0	19	0	17	17	89	237	237	0	58	57	0	1	4
1067	0	0	0	0	0	0	36	36	36	11	0	0	11	4
7729	10172	4	0	4	4	10	43	43	43	16	0	0	0	4
9336	2838	36	0	25	30	13	317	317	317	41	41	0	0	4
54326	45310	505	0	451	54	84.36	7246	7246	7246	31	28	0	3	4
156434	6424	364	0	247	117	76	556	556	556	5	5	0	0	4
9360	32346	148	0	103	45	90	1378	1378	1378	8	6	0	2	4
24137	13642	113	0	103	103	91	675	675	675	133	133	0	0	4
26807	12156	114	0	93	86	75	611	611	611	345	345	0	0	4
822	392	2	0	2	2	75	5	5	5	17	17	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
37.3	(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Agriculture & Cooperation	23809	0	7809	3406	0	11956
38	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	487	0	480	0	0	888
39	(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (A) Indian Council of Agricultural Research	10696	0	28274	24201	0	64092
40	(क) पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग (A) Department of Animal Husbandry, Dairy and Fishing	3708	0	1513	1513	0	1284
41	(क) सांखियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (A) M/o. Statistics & Programme Implementation	8912	0	4601	1159	0	17995
41.1	(क) सांखियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	18398	78	92027	35568	10	145272
41.2	(ख) सांखियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	2673	0	17633	8093	0	42611
41.3	(ग) सांखियकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	7818	104	11352	4708	0	33889
42	(क) भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (मु.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय (A) Department of Indian Accounts & Audit (HQ) Office of the Comptroller & Auditor General of India	937	13	48664	24717	37	73709
42.1	(क) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्या. (A) Offices under the Comptroller & Auditor General of India	44889	1021	907589	570295	217	1289315
42.2	(ख) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्या. (B) Offices under the Comptroller & Auditor General of India	12605	115	90595	41518	9	559275

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
16611	4663	46	0	46	21	45	226	226	226	347	347	0	0	4
270	0	3	1	1	1	33	30	30	30	52	52	0	0	4
64805	0	103	0	41	62	62	710	710	0	68	64	0	4	4
1108	2652	34	0	23	11	60	187	187	0	0	0	0	0	2
6415	0	44	0	0	44	100	510	510	510	72	44	28	0	4
14360	1068	204	0	115	89	43.62	916	870	0	72	72	0	0	4
7072	213	98	0	62	36	36.73	431	416	0	118	118	0	0	4
36361	6210	175	0	112	63	36	1730	1526	0	135	135	0	0	4
13828	0	52	0	3	49	94	1281	3	815	14	11	3	0	4
55654	81470	737	134	203	400	54	7840	1187	6938	2046	1386	273	387	4
64798	25726	292	16	93	183	63	3368	146	2880	6288	1895	3956	437	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
42.3	(ग) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्या. (C) Offices under the Comptroller & Auditor General of India	30294	5548	35430	18922	2158	113035
43	(क) पोत परिवहन मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Shipping (HQ)	2565	0	1118	433	0	11701
43.1	(क) पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Shipping	3466	0	11046	9383	0	27498
43.2	(ख) पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Shipping	33148	0	47890	40467	0	356238
43.3	(ग) पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Shipping	19015	0	5160	4743	0	33369
44	(क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (A) Ministry of Road Transport & Highways	10884	0	3267	3267	0	27526
45	(क) भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (A) National Highway Authority of India	2104	0	2810	1829	0	23518
46	(क) नागर विमानन मंत्रालय (A) Ministry of Civil Aviation	1639	0	2045	1573	0	14625
46.1	(क) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Civil Aviation	9383	0	19949	12345	0	101707
47	(क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसा. एवं पेट्रो-रसायन विभाग (A) M/o Chem. & Fertilizers, D/o Chemicals & Petro-chem.	455	19	1558	1474	84	3447
47.1	(क) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals	1324	0	916	906	10	7478
47.2	(ख) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals	605	0	56	56	0	503
47.3	(ग) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals	5430	1857	2065	2065	0	12281
48	(क) उर्वरक विभाग (A) Deptt. of Fertilizer	2088	0	1965	1965	0	8753

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
162507	168906	997	181	600	216	22	8387	28	5904	7029	2617	4349	63	4
13885	11701	24	3	21	6	25	284	0	284	123	123	0	0	3
2769	0	51	38	30	38	75	265	7	265	140	140	0	0	4
70409	150988	477	459	354	459	96	2702	7	1825	1923	1837	81	5	4
17265	4599	598	435	597	434	73	4610	1216	4508	1478	1446	29	3	4
20393	27526	71	0	56	15	40	532	532	0	60	0	0	0	4
9492	0	45	0	45	45	60	575	575	0	46	42	0	4	3
6764	258	5	3	2	3	60	266	0	266	36	36	0	0	4
0	18877	363	349	14	296	82	2432	0	2432	955	115	0	0	4
1195	251	10	5	5	2	20	112	0	112	15	12	3	0	4
6444	4018	64	0	25	39	61	221	0	221	193	172	21	0	4
76	0	36	4	25	25	69	98	0	98	73	57	6	11	4
6322	0	63	36	27	0	0	480	0	144	31	31	0	0	4
8153	0	28	23	5	23	82	270	0	270	25	25	0	0	0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
48.1	(क) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Fertilizers	3589	0	13922	7562	0	63736
48.2	(ख) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Fertilizers	179	0	173	154	0	407
48.3	(ग) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Fertilizers	924	0	170	170	0	1900
49	(क) औषध विभाग (A) Department of Pharmaceuticals	3671	0	537	537	0	862
49.1	(क) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Pharmaceuticals	154	0	465	336	84	19331
49.2	(ख) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Pharmaceuticals	363	0	202	202	0	5651
49.3	(ग) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Pharmaceuticals	5716	0	2427	697	0	201
50	(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (A) Deptt. of Defence, Deptt. of defence Research & Devlop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	21876	0	9310	5815	0	28824
50.1	(क) सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन (A) Defence Headquarters & ISO	214624	0	237346	203217	0	1311752
50.2	(ख) सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन (B) Defence Headquarters & ISO	46652	0	88609	79112	0	109236
50.3	(ग) सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन (C) Defence Headquarters & ISO	47112	0	81102	76992	0	143210
51	(क) रक्षा मंत्रालय (वित्त) (A) M/o Defence (Finance)	1085	0	3953	3953	0	17353
51.1	(क) रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय (A) D/o Defence Accounts, O/o CGDA	29278	0	261253	189530	0	804290
51.2	(ख) रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय (B) D/o Defence Accounts, O/o CGDA	22412	0	83451	81471	0	318846
51.3	(ग) रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय (C) D/o Defence Accounts, O/o CGDA	6866	0	64958	57623	0	158673

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
4071	852	80	0	0	80	100	1129	0	1114	278	278	0	0	4
39	0	1	1	1	1	100	33	0	33	11	11	0	0	0
2192	3165	127	122	127	122	96	533	0	533	327	326	0	0	4
5014	0	7	0	5	7	35	64	64	0	19	19	0	0	4
5054	0	21	0	14	21	70	201	76	0	50	18	0	0	4
1836	0	94	0	94	53	56	790	740	0	7716	97	7571	48	4
1835	36	17	0	15	4	24	403	44	0	643	42	64	14	4
17893	0	126	98	112	84	68	940	0	940	46	46	0	0	4
502832	51756	5045	4146	4890	4611	80	24312	0	24312	23340	17417	2037	3886	4
98685	0	3826	1858	3104	736	19	6192	0	6192	4366	3455	577	334	4
157546	10570	7102	5137	6399	1369	19	44112	0	44112	21198	20717	372	109	4
4218	0	21	21	21	21	100	295	0	295	55	54	0	1	4
158732	0	692	425	406	326	47	4927	0	4369	516	474	0	42	4
47519	0	280	167	319	234	84	3135	0	2977	516	474	0	42	4
126602	0	423	236	302	210	50	2153	0	1632	516	474	0	42	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
52	(क) रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय) (A) Deptt. Of Defence Production (Secretariat)	1680	0	2138	2138	0	7849
52.1	(क) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices underf Deptt. of Defence Production	101406	0	76479	67324	0	436799
52.2	(ख) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Defence Production	36488	0	32556	28560	0	206833
52.3	(ग) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Defence Production	99836	0	19363	15630	0	408108
53	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, पूर्ति विभाग (A) Ministry of Commerce & Industry, D/o Supply	2525	0	898	898	0	2202
54	(क) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. (मु.) (A) Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q)	3116	0	7836	4314	0	10128
54.1	(क) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q)	1087	0	2997	2997	0	14151
54.2	(ख) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q)	745	0	1342	1342	0	23349
54.3	(ग) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q.)	426	0	2051	2051	0	12156
55	(क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (A) D/o Industrial Policy & Promotion	7975	0	6911	5147	0	29942
55.1	(क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन कार्या. (A) Office under D/o Industrial Policy & Promotion	2587	0	7191	6811	0	46349
55.2	(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन कार्यालय (B) Office under D/o Industrial Policy & Promotion	12239	0	2115	2094	0	72056
55.3	(ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन कार्यालय (C) Office under D/o Industrial Policy & Promotion	48	0	21	21	0	21
56	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Science & Technology, Ministry of Science & Technology	1016	0	1509	1509	0	25203

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
4995	7849	28	17	28	17	61	245	245	245	30	30	0	0	4
169781	38354	1518	1166	1292	893	59	11310	11310	11276	8243	4418	2832	993	4
26032	561120	469	397	285	17	4	7779	7779	7728	3090	1322	1451	317	4
347434	3079969	1576	783	1576	783	50	15409	15409	14469	3614	3417	88	109	4
2325	0	17	10	7	17	58.82	60	0	48	1	1	0	0	0
5499	0	142	0	0	142	60	383	383	0	116	116	0	0	4
4364	0	43	0	43	22	70.75	133	133	0	0	0	0	0	4
7540	0	14	0	14	13	65.7	111	111	0	0	0	0	0	4
10306	0	21	0	21	13	55.6	149	149	0	0	0	0	0	4
11418	0	39	0	17	22	56	468	468	0	53	52	0	1	4
23987	18673	75	0	56	36	48	676	542	0	233	106	31	96	4
71648	294752	34	0	20	14	41	1385	1305	0	365	277	2	86	4
296	211	0	0	0	0	0	200	125	0	30	30	0	0	4
14425	0	98	38	47	13	13	355	1	355	80	80	0	0	3

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
56.1	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Science & Technology	6220	0	94265	94265	0	1583210
56.2	(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Science & Technology	570	0	145	145	0	4145
56.3	(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Science & Technology	3491	0	420	420	0	7127
57	(क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	2019	465	329	329	0	3306
58	(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Scientific and Industrial Research, M/o Science & Technology	374	0	91	91	0	2514
59	(क) वस्त्र मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Textiles (HQ)	3334	0	1692	1692	0	10172
59.1	(क) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of M/o Textiles	4232	0	16522	14656	0	63954
59.2	(ख) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of M/o Textiles	3137	0	19344	8206	0	76165
59.3	(ग) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices of M/o Textiles	3308	0	10856	8526	0	2718
60	(क) शहरी विकास मंत्रालय (A) Ministry of Urban Development	1844	0	2198	2082	0	24901
60.1	(क) शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Urban Development	16741	20	95737	72922	175	188202
60.2	(ख) शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Urban Development	45	0	585	465	0	2135
61	(क) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (A) Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	870	0	937	712	0	4728

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
67940	0	370	184	179	7	2	2548	1957	1957	204	204	0	0	4
2388	2549	64	30	26	8	13	236	127	127	90	90	0	0	4
5588	4354	32	16	11	5	16	863	594	594	282	282	0	0	4
3309	3306	2	1	1	1	50	300	1	300	20	20	0	0	3
1598	0	5	0	4	4	55	110	110	0	166	5	0	0	3
5920	10172	20	8	12	8	40	210	210	210	24	24	0	0	4
8964	15279	196	116	87	116	59	682	682	682	363	342	0	10	4
15761	4877	48	41	40	40	83	291	291	291	274	270	3	2	0
8125	19978	29	15	20	15	52	304	304	304	139	113	0	26	4
12479	0	70	64	37	36	69.7	375	0	375	55	55	0	0	4
65136	18978	834	305	720	303	0	3902	439	3858	995	811	0	184	4
815	3408	17	14	17	10	0	25	0	25	37	37	0	0	4
2403	0	19	15	19	15	72.4	140	0	140	44	44	0	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
61.1	(क) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	2581	0	3213	2076	0	19015
62	(क) दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Telecom. M/o Communications & Information Tech.	7280	0	7486	7486	0	21995
62.1	(क) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Telecommunications	14401	0	15089	15089	0	72144
62.2	(ग) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Telecommunications	1537	0	4632	4632	0	10504
63	(क) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Electronics & Information Technology, M/o Communications &Information Technology	338	0	691	691	0	2436
63.1	(क) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Electronics & information tech.	6751	0	6828	6828	0	8382
63.2	(ख) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Electronics & information tech.	567	0	25	25	0	225
64	(क) डाक विभाग (मु.) (A) Deptt. of Posts (HQ)	968	0	964	703	0	4631
64.1	(क) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Posts	7231	0	197540	134571	0	597420
64.2	(ख) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Posts	1268	0	16410	9457	0	67405
64.3	(ग) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Posts	1781	0	5342	3014	0	59421
65	(क) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (मु.) (A) M/o Labour & Employment (HQ)	8798	0	7547	7547	0	6934
65.1	(क) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Labour & Employment	25561	1857	285970	178697	0	327623
65.2	(ख) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Labour & Employment	113	0	1994	1986	0	5979

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
13911	13959	210	137	75	54	0	591	24	524	195	175	12	8	4
24561	21995	109	76	76	76	70	742	0	742	357	356	0	1	4
29561	72144	249	176	73	176	71	2611	0	2611	263	252	0	11	4
3035	10504	191	74	117	74	39	1110	0	1110	126	126	0	0	4
1676	0	60	56	30	30	50	673	0	673	89	70	0	19	4
3528	0	122	122	99	86	70	1278	0	1278	98	98	0	0	3
521	4	24	10	30	10	42	700	0	700	5	5	0	0	4
1596	0	119	99	99	50	42	464	0	464	161	161	0	0	4
198014	0	482	246	247	259	54	5624	0	5624	256	256	0	0	4
76012	0	223	73	169	87	39	1365	0	1365	150	150	0	0	4
19702	0	1023	336	678	368	36	1499	0	1499	161	161	0	0	4
2466	0	54	20	34	34	63	445	6	445	59	59	0	0	4
109228	49089	476	180	296	300	63	2389	0	2389	1163	1091	0	72	4
1772	4207	8	4	4	4	50	108	2	108	378	354	0	24	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
66	(क) संघ लोक सेवा आयोग (A) Union Public Service Commission	7546	0	19638	19638	0	54492
67	(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (A) M/o of Rural Development, Deptt. of Rural Development	2157	0	41916	27700	0	54196
67.1	(क) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under ,Dept. of Rural Development	337	0	1672	1248	0	2333
67.2	(ग) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under ,Deptt. of Rural Development	1098	0	733	ex	0	35148
68	(क) भूमि संसाधन विभाग (A) Deptt. of Land resources	1742	0	317	317	0	6608
69	(क) पर्यटन मंत्रालय (A) Ministry of Tourism	1488	0	1896	832	0	7312
69.1	(क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Tourism	10923	0	3512	2915	0	20476
69.2	(ख) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Tourism	12270	0	968	774	0	4972
69.3	(ग) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Tourism	8418	0	1020	792	0	2039
70	(क) संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Culture (HQ)	7855	0	2391	1516	0	27984
70.1	(क) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Culture	13611	0	32034	24973	0	111863
70.2	(ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Culture	6558	0	1090	507	0	4144
70.3	(ग) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Culture	22518	0	8905	6977	0	18386
71	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Tribal Affairs	4492	0	1424	932	0	5140
71.1	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Tribal Affairs	4492	0	3532	3532	0	6247

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
25284	3049	152	122	152	122	80	770	0	770	137	137	0	0	4
24158	2215	62	0	48	14	60	522	499	0	55	55	0	0	4
5517	1420	33	0	32	88	85	150	145	0	57	13	21	23	4
38914	14246	28	21	28	21	75/30	449	449	449	1366	552	804	10	0
6191	0	20	13	7	13	65	95	0	95	14	14	0	0	4
11225	18537	27	19	8	19	70	197	0	197	38	37	0	1	4
17935	3929	102	86	91	86	84	664	0	549	1181	199	894	81	4
4755	4420	21	13	15	13	62	249	0	135	120	72	19	29	4
12199	982	68	48	60	48	71	645	0	101	282	130	122	30	4
32292	0	11	7	3	1	63.63	280	280	280	28	27	0	1	4
46841	22435	260	119	102	39	15	2836	587	1398	2145	794	895	152	4
4101	0	6	2	3	1	17	16	10	8	3	0	0	0	4
113384	23106	81	27	46	8	10	1035	644	139	263	124	63	16	4
2414	5140	7	4	7	4	57	104	2	104	47	47	0	0	1
3643	5140	23	5	20	9	39	51	0	81	35	34	1	0	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
72	(क) भारत का निर्वाचन आयोग (A) Election Commission of India	3192	0	15467	6752	0	17767
73	(क) पंचायती राज मंत्रालय (A) Panchayati Raj Mantralaya	913	0	1293	1293	0	1164
74	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	967	0	1769	1769	0	16491
74.1	(क) भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र नई दिल्ली (A) Sports Authority of India, National Service Scheme, Nehru Yuva Kendra	922	0	6553	6553	0	16639
75	(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (A) Ministry of North Eastern Region Development	489	0	553	553	0	1625
76	(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Minority Affairs	3822	3430	2385	1699	789	5969
76.1	(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Minority Affairs	899	0	922	922	0	0
77	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1340	0	1805	1805	0	12041
77.1	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्या. (A) Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1500	0	9075	9075	0	19759
77.2	(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्या. (B) Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	854	0	38637	38637	0	51722
77.3	(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्या. (C) Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	763	0	154	154	0	14608
78	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Petroleum & Natural Gas (HQ)	2342	0	6723	5895	0	14454
78.1	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्या. (A) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	27232	0	137128	128246	0	687959

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
8611	<b>5246</b>	98	0	26	72	73	370	370	0	80	80	0	0	4
7469	0	14	7	7	0	0	115	0	115	18	18	0	0	3
8444	0	17	0	2	15	88	183	183	0	15	15	0	0	4
4711	0	<b>56</b>	0	19	37	66	768	768	0	73	73	0	0	4
1787	0	14	0	4	10	40	96	96	0	20	0	0	0	4
8911	<b>2740</b>	37	0	20	9	0	134	115	0	48	48	0	0	4
1231	<b>1550</b>	17	0	14	14	0	121	121	0	<b>100037</b>	<b>100037</b>	0	0	3
1305	0	17	15	17	15	88	131	0	131	23	2	30	0	1
5884	0	30	30	30	30	100	347	0	347	79	7	90	0	3
35904	0	66	45	21	45	68	516	0	516	95	77	13	0	4
7284	0	14	9	5	9	64	220	0	220	<b>1579</b>	136	1443	0	4
8164	0	32	0	32	32	100	0	0	0	76	76	0	0	4
148942	<b>5762</b>	869	0	869	869	100	0	0	0	1706	1571	68	67	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
78.2	(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्या। (B) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	35578	0	112132	95932	0	786474
78.3	(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्या। (C) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	13802	0	45236	31986	0	355875
79	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Corporate Affairs	7504	0	2872	0	0	21794
79.1	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Corporate Affairs	4322	0	7298	1349	0	157375
79.2	(ख) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Corporate Affairs	610	0	1131	712	26	26997
79.3	(ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Corporate Affairs	795	0	966	541	6	6714
80	(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (A) Ministry of Women & Child Development	1583	0	2428	2428	0	22348
81	(क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (A) Ministry of Drinking Water and Sanitation	512	0	1224	1224	0	11352

<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
175426	142	1673	0	1673	1673	100	0	0	0	1474	1463	11	0	4
163454	9512	1753	0	1753	1753	100	0	0	0	3102	2889	212	1	4
18307	0	37	11	26	7	19	210	7	210	190	190	0	0	4
48180	43236	92	23	107	94	102	468	7	468	190	190	0	0	4
14601	5504	43	31	34	24	56	147	7	147	190	190	0	0	4
32563	5946	62	36	76	32	52	321	7	321	190	190	0	0	4
15197	0	12	11	11	11	92	312	0	312	24	24	0	0	4
1439	2126	4	4	1	4	100	165	0	165	35	35	0	0	4

## CHAPTER-2

### PART-B

**Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments and their Attached/Subordinate offices, Corporations, Undertakings, Banks etc., during the year 2015-2016**

Ministries/Departments which have violated the Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963			Ministries/Departments which have violated Rule-5 of Official Language Rules, 1976		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments
1.	2.2 & 2.3	Offices under M/o Coal, region 'B' & 'C'	1.	3.3	Offices under M/o Mines, region C
2.	4	M/o Social Justice and empowerment	2.	4	M/o Social Justice and empowerment
3.	5.1	Department of Personnel and Training	3.	5.1	Department of Personnel and Training, region A
4.	10.1 to 10.3	Offices under M/o of Home Affairs region A to C	4.	10.1 to 10.3	Offices under M/o of Home Affairs region A to C
5.	11.1	Offices under M/o Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, region A	5.	12.2, 12.3	Offices under D/o Atomic Energy, region B and C
6.	12.1 to 12.3	Offices under Atomic Energy, region A,B,C	6.	14.1, 14.2	Offices under Department of Higher Education, region A and B
7.	14.1 to 14.3	Offices under Deptt. of Higher Education, region A to C	7.	25.29.1	Offices under Department of Financial Services
8.	16.2, 16.3	Offices under NITI Ayog, region B and C	8.	26, 26.1, 26.3	Ministry of Health and Family Welfare and Offices under it region A and C
9.	25.29.1, 25.37.1	Offices under Deptt. of Financial Services	9.	27.3	Offices under Ministry of AYUSH, region C
10.	26.1, 26.2	Offices under Health and Family Welfare, region A and C	10.	29.3	Offices under Ministry of Information & Broadcasting, region C
11.	27.3	Offices under Ministry of AYUSH, region C	11.	32.1	Offices under Department of Heavy Industries region A
12.	41.1, 41.3	Offices under Ministry of Statistics and Programme Implementation, region A and C	12.	41.1	Offices under Ministry of Statistics and Programme Implementation, region A
13.	42, 42.1 to 42.3	Offices under The Comptroller & Auditor General of India, region A to C	13.	42, 42.1 to 42.3	Offices under The Comptroller & Auditor General of India, and its region A to C
14.	47, 47.3	Department of Chemical & Petrochemical and Offices under it region C	14.	47, 47.1	Department of Chemical & Petrochemical and Offices under it region A
15.	58	Department of Biotechnology	15.	61.1	Ministry of Textile, region A
16.	61.1	Offices under Ministry of Textile, region A	16.	77	Ministry of Minority Affairs
17.	66.1	Offices under Ministry of Labour and employment region A	17.	80.2 & 80.3	Ministry of Corporate Affairs region B & C
18.	77	Ministry of Minority Affairs			

## अध्याय-2

### भाग-ख

वर्ष 2015-16 के दौरान मंत्रालय/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन हुआ है:			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है:		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम
1.	2.2 और 2.3	कोयला मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग	1.	3.3	खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ग
2.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
3.	5.1	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय	3.	5.1	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्यालय
4.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय, क्षेत्र क से ग	4.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय, क्षेत्र क से ग
5.	11.1	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	5.	12.2 और 12.3	परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग
6.	12.1 से 12.3	परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	6.	14.1 और 14.2	उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग
7.	14.1 से 14.3	उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	7.	25.29.1	वित्तीय सेवाएं विभाग के अधीन कार्यालय
8.	16.2 और 16.3	नीलि आयोग के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग	8.	26 और 26.1 एवं 26.3	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग
9.	25.29.1 और 25.37.1	वित्तीय सेवाएं विभाग के अधीन कार्यालय	9.	27.3	आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ग
10.	26.1 और 26.3	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग	10.	29.3	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ग
11.	27.3	आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ग	11.	32.1	भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क
12.	41.1 और 41.3	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग	12.	41.1	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क
13.	42 और 42.1 से 42.3	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय तथा इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	13.	42 और 42.1 से 42.3	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय तथा इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग
14.	47 और 47.3	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ग	14.	47 और 47.1	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क
15.	58	बायोटैकनोलॉजी विभाग	15.	61.1	वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क
16.	61.1	वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	16.	77	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
17.	66.1	श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	17.	80.2 और 80.3	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग
18.	77	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय			

## CHAPTER-2 (Contd.....)

### PART-B

**Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments and their Attached/Subordinate offices, Corporations, Undertakings, Banks etc., during the year 2015-2016**

The Ministries/Deptts. where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per rules:-			Names of the Ministries/Deptts. which have not convened the prescribed four meetings of official language Implementation committee during the year.		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments
1.	1.1, 1.2	Offices under Department of Space, region B, C	1.	2	Ministry of Coal
2.	2.1, 2.3	Offices under M/o Coal region A & C	2.	4	M/o Social Justice and Empowerment
3.	3.1 to 3.3	Offices under M/o Mines region A & C	3.	5	Department of Personnel and Training
4.	5.1	Office of Department of Personnel and Training, region A	4.	7	Department Administrative reforms and Public Grievances
5.	9.1	Offices under Department of Consumer Affairs, region A	5.	11, 11.3	Ministry Water resources, River Development and Ganga Rejuvenation and Offices under it, region C
6.	10.1, 10.3	Offices under Ministry of Home Affairs, region A to C	6.	13	Ministry of Environment, Forest and Climate change
7.	11.1	M/o Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, region A	7.	16.1, 16.2	Offices under NITI Ayog, region A & B
8.	12.1 to 12.3	Offices under Department of Atomic Energy, region A to C	8.	18	Ministry of External Affairs
9.	16.1	Offices under NITI Aayog, region A	9.	20, 20.3	Department Legal Affairs and Offices under it, region C
10.	17, 17.1 to 17.3	Ministry of Railways and Offices under it region A to C	10.	23	Offices under of Revenue
11.	18	Ministry of External Affairs	11.	25.29.2, 25.29.3 25.31.1 to 25.31.3	Offices under Ministry of Finance, Department Financial Services
12.	20.1 & 20.3	D/o Legal Affairs region A & C	12.	27, 27.3	Ministry of Ayush and Offices under it, region C
13.	23.1	Offices under M/o Finance, Department Revenue, region A	13.	33	Department of Public Enterprises
14.	25.4.1, 25.4.2, 25.4.3 25.6, 25.6.1, 25.6.2, 25.6.3, 25.16, 25.16.1, 25.16.225.1 6.3, 25.18, 25.18.1, 25.18.2, 25.18.3, 25.20, 25.20.2, 25.21, 25.21.1 25.21.2 25.21.3, 25.30, 25.30.1, 25.30.2, 25.30.3, 25.32.1, 25.32.2 25.37, 25.37.1, 25.37.2 25.39	Offices under Ministry of Finance, Department Financial Services	14.	35	Ministry of New Renewable Energy
15.	26, 26.1 to 26.3	Ministry of Health and Family Welfare and Offices under it, region A to C	15.	40	Ministry of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries
16.	27.3	Offices under Ministry of Ayush, region C	16.	43	Ministry of Shipping
17.	29.1	Offices under Ministry of Information and Broadcasting, region A	17.	45	National Highway Authority of India

## अध्याय-2 (जारी.....)

### भाग-ख

वर्ष 2015-16 के दौरान मंत्रालय/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं हैं:			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुई;		
क्र. सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम
1.	1.1 और 1.2	अंतरिक्ष विभाग के केंद्र क्षेत्र ख और ग	1.	2	कोयला मंत्रालय
2.	2.1 2.3	कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग	2.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
3.	3.1 से 3.3	खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	3.	5	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
4.	5.1	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	4.	7	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	9.1	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	5.	11 और 11.3	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ग
6.	10.1 और 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग	6.	13	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7.	11.1	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	7.	16.1 और 16.2	नीति आयोग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ख
8.	12.1 से 12.3	परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके यूनिट/उपक्रम/संस्थान क्षेत्र क से ग	8.	18	विदेश मंत्रालय
9.	16.1	नीति आयोग के अधीन कार्यालय, क्षेत्र क	9.	20, 20.3	विधि कार्य विभाग और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ग
10.	17, 17.1 से 17.3	रेल मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	10.	23	राजस्व विभाग
11.	18	विदेश मंत्रालय	11.	25.29.2 और 25.29.3, 25.31.1, 25.31.2 और 25.31.3	वित्तीय सेवाएं विभाग के अधीन कार्यालय
12.	20.1 और 20.3	विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग	12.	27, 27.3	आयुष मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ख
13.	23.1	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	13.	33	लोक उद्यम विभाग
14.	25.4.1, 25.4.2, 25.4.3, 25.6, 25.6.1 25.6.2, 25.6.3, 25.16, 25.16.1, 25.16.2, 25.16.3, 25.1825.18.1, 25.18.2, 25.18.3, 25.20, 25.20.2, 25.21 25.21.1, 25.21.2, 25.21.3, 25.30, 25.30.1, 25.30.2, 25.30.3, 25.32.1, 25.32.2, 25.37 25.37.1, 25.37.2, 25.39	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधीन कार्यालय	14.	35	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
15	26, 26.1 से 26.3	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	15	40	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग
16.	27.3	आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ग	16	43	पोत परिवहन मंत्रालय
17	29.1	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	17	45	भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण

## CHAPTER-2 (Contd.....)

### PART-B

#### Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments and their attached/subordinate offices, corporations, undertakings, banks etc., during 2015-2016

The Ministries/Deptts. where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per rules			Names of the Ministries/Deptts. which have not convened the prescribed four meetings of official language Implementation committee during the year		
18.	32.1, 32.2	Offices under D/o Heavy Industries, region A & C	18	48, 48.2	Dept. of Fertilizers and Offices under it, region B
19.	34.1	Offices under Ministry of Steel, region A	19.	54	Dept. of Supply M/o Commerce and Industry
20.	41	Ministry of Statistics and Programme Implementation	20.	57	Dept. of Science and Technology
21.	42, 42.1 to 42.3	The Comptroller & Auditor General of India, and Offices under it, region A to C	21.	58	Dept. of Bio-Technology
22.	43.2, 43.3	Offices under Ministry of Shipping, Region B and C	22.	59	Dept. Scientific and Industrial research
23.	47, 47.1, 47.2	Department of Chemical & Petrochemical and Offices under it, region A & B	23.	60.2	Offices under Ministry of Textile, region B
24.	50.1 to 50.3	Offices under Ministry of Defence, region A to C	24.	64.1	Offices under Ministry of Electronics and IT, region A
25.	52.1 to 52.3	Offices under D/o Defence production region A to C	25.	68.2	Offices under Deptt. of Rural Development, region C
26.	56.1,56.3	Offices under DIPP region A & C	26.	72	Ministry of Tribal Affairs
27.	60.2	Offices under Ministry of Textiles, region B	27.	74	Ministry of Panchayati Raj
28.	62.1	Offices under Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, region A	28.	77.1	Offices under Ministry of Minority Affairs, region A
29.	68.1, 68.2	Offices under Deptt. of Rural Development region A & C	29.	78, 78.1	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises and Offices under it, region A
30.	70.1 to 70.3	Offices under Ministry of Tourism, region A to C			
31.	71.1, 71.3	Offices under Ministry of Culture, region A & C			
32.	72.1	Offices under Ministry of Tribal Affairs, region A			
33.	78, 78.1 to 78.3	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises and Offices under it, region A to C			
34	79.1 to 79.3	Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas region, A to C			

## अध्याय-2 (जारी.....)

### भाग-ख

वर्ष 2015-16 के दौरान मंत्रालय/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं हैं			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुईं		
18.	32.1 और 32.2	आरी उद्योग विभाग के कार्यालय क्षेत्र क और ग	18	48 और 48.2	उर्वरक विभाग और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ख
19.	34.1	इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क	19	54	पूर्ति प्रभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
20.	41	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	20	57	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
21.	42 और 42.1 से 42.3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	21	58	बायो-टेक्नोलॉजी विभाग
22.	43.2 और 43.3	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग	22	59	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
23.	47, 47.1 एवं 47.2	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग और इसके कार्यालय क्षेत्र क और ख	23	60.2	वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख
24.	50.1 से 50.3	सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन के कार्यालय क्षेत्र क से ग	24	64.1	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यालय कार्यालय क्षेत्र क
25.	52.1 से 52.3	रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	25	68.2	ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र ग
26.	56.1 व 56.3	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के कार्यालय क्षेत्र क और ग	26	72	जनजातीय कार्य मंत्रालय
27.	60.2	वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र ख	27	74	पंचायती राज मंत्रालय
28.	62.1	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन कार्यालय	28	77.1	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क
29.	68.1, 68.2	ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग	29	78, 78.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क
30.	70.1 से 70.3	पर्यटन मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क से ग			
31.	71.1 एवं 71.3	संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क और ग			
32.	72.1	जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क			
33	78 एवं 78.1 से 78.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग			
34	79.1 से 79.3	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग			

## CHAPTER-3

### SHORTCOMINGS NOTICED IN THE IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY, REMEDIAL MEASURES FOR REMOVING THEM AND SUGGESTIONS FOR BETTER IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

#### Sources of Statistics on Implementation of Official Language

The implementation of the provisions of the Official Languages Act,1963 and Official Language Rules,1976 framed there under and orders/instructions issued by the Government of India from time to time for stepping up the use of Hindi is ensured by close monitoring of the Quarterly Progress Reports, Annual Assessment Reports and Six-monthly Reports pertaining to training in Hindi, Hindi Typing/Hindi Stenography, IT Tools and Translation Skills. All Ministries/Departments of Central Government prepare the above reports in the prescribed proforma showing the progress made in the use of Hindi and these reports are sent to the Department of Official Language. These reports are scrutinized in the Department of Official Language and shortcomings are brought to the notice of concerned Ministries/Departments.

The deficiencies noticed by comparative assessment of the implementation/ work done by various Ministries / Departments, Offices, Undertakings, etc. have been mentioned in Part -B of Chapter 2.

#### Suggestions for removing the deficiencies noticed in implementation work

The following action is suggested by the Department of Official Language for addressing the deficiencies noticed:

(1) The pending work of Hindi translation of Central Rules, Manuals, Forms, Codes and other procedural literature should be got completed on priority basis according to time bound programme and its publication should be in diglot-form.

(2) Every office must send its reply in Hindi to letters received in Hindi. This Point has always been stressed upon while reviewing the quarterly progress reports. If letter received in Hindi is replied to in English the matter is brought to the notice of the concerned office. Offices concerned are requested to review the matter so as to avoid recurrence.

(3) With a view to increase Hindi Correspondence, original Hindi noting/drafting may be encouraged. Ministries / Departments have been asked to do maximum correspondence in Hindi.

(4) Documents mentioned under Section 3 (3) of the Official Languages Act must be issued bilingually. It is specifically stressed that all these documents must be issued in both Hindi and English simultaneously.

(5) The position regarding availability of bilingual computers and enabling of "Unicode" should be reviewed in the Ministries/Departments from time to time. Information / co-operation is extended by the Technical Cell of the Department of Official Language about availability of bilingual electronic/ mechanical equipments and computers.

(6) Extensive review of progress made in implementation of Official Language Policy should be made in the meetings of the Official Language implementation committees and the Town Official Language Implementation Committees.

(7) It is emphasized that the employees not having working knowledge of Hindi may be got trained through Hindi Teaching Scheme / Central Hindi Training Institute or through the correspondence course of the Central Hindi Directorate.

(8) In the meetings of Hindi Advisory committee, Official Language Implementation Committees and the Town Official Language Implementation Committees as well as on other occasions, attention of senior officers is drawn to the need to encourage the staff to work in Hindi and they are also asked to do their work in Hindi progressively.

#### Measures for removing the shortcomings noticed in implementation .

A number of significant initiatives have been taken by the DOL and notable achievements have been made by various Ministries/ Departments towards wider and more effective use of Hindi as Official Language. Salient features of measures taken by the Department of Official Language include the following:

(i) Rajbhasha Puraskar Yojna was reviewed in the year 2014-15. New "Rajbahsha Gaurav Puraskar" Yojna and "Rajbhasha Kirti Puraskar" Yojna with enhanced award amount were notified .

## अध्याय-3

### राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां और उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव

#### राजभाषा के कार्यान्वयन पर सांखियकी के स्रोत

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा अनुवाद दक्षताओं से संबंधित छमाही रिपोर्ट के द्वारा लिगरानी करके सुनिश्चित की जाती है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। राजभाषा विभाग में इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और कमियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जाता है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा किए गए कार्यान्वयन/कार्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद जानकारी में आई कमियों का अध्याय-2 के भाग 'ख' में उल्लेख किया गया है-

#### कार्यान्वयन में जानकारी में आई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव:

इस संबंध में जानकारी में आई कमियों के बारे में अवगत कराते हुए राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है :-

- (1) जिन केंद्रीय नियमों, मैनुअलों, फार्मों, संहिताओं और अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य का हिंदी अनुवाद शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अनूदित कराया जाना चाहिए और उसका डिग्लाट रूप में प्रकाशन होना चाहिए।
- (2) प्रत्येक कार्यालय को हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही देना है। इस मुद्दे पर प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट में निरंतर जोर दिया जाता है। यदि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है तो इस मुद्दे को संबंधित कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है। संबंधित कार्यालय से अनुरोध है कि इस मुद्दे की समीक्षा करें ताकि ऐसी पुनरावृति न हो।
- (3) हिंदी में पत्राचार की वृद्धि के लिए मूल हिंदी टिप्पणी/मसौदा लेखन को बढ़ावा दिया जाए। मंत्रालयों/विभागों को अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में करने के निर्देश दिए गए हैं।

- (4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित कागजों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाए। इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि सभी दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाएं।
- (5) द्विभाषी कंप्यूटरों की उपलब्धता के बारे में स्थिति और यूनिकोड की उपलब्धता के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों में समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। राजभाषा विभाग का तकनीकी कक्ष द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिकी/यांत्रिकी उपकरणों और कम्प्यूटरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- (6) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।
- (7) जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं हैं उन्हें हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अथवा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- (8) हिंदी सलाहकार समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में और अन्य अवसरों पर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाए और उन्हें उत्तरोत्तर हिंदी में कार्य करने के लिए भी अनुरोध किया जाए।

#### कार्यान्वयन कार्य में जानकारी में आई कमियों को दूर करने के लिए उपाय:-

राजभाषा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के व्यापक और अधिक प्रभावी उपयोग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। राजभाषा विभाग द्वारा किए गए उपायों सहित अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- (i) वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा पुरस्कार योजनाओं की समीक्षा की गई। बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के साथ नई 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' योजना व 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना अधिसूचित की गई।

- (ii) To make personnel of Central Government proficient in Hindi in official work, it has been decided to start a new training programme "PARANGAT".
- (iii) 48 New Town official Language Implementation committees have been constituted between April, 2015-16 to March, 2016, taking the total number to 445. The target is to have a Town official Language Implementation committee in each of such district headquarter/ major city in the district having 10 or more Central Government entities.
- (iv) The regional conferences are being held in different parts of the country to impress upon different Central Government Offices for implementation of Official Language Policy .
- (v) Various awards schemes are being implemented to encourage the use of Rajbhasha Hindi in the official work of Ministries/Departments, Undertakings and Banks. The outstanding achievements are being recognized and honored during the Hindi Day celebrations and Regional Conferences.
- (vi) With a view to advising the Ministries/ Departments of Central Government regarding the smooth implementation of Official Language policy, Hindi Advisory Committees have been constituted under the chairmanship of their respective Ministers.
- (vii) With a view to reviewing the progressive use of Hindi in the Ministries/ Departments of the Central Govt., there exists a Central Official Language Implementation Committee in the Department of Official Language under the chairmanship of Secretary, Department of Official Language. The Officer in-charge (Joint Secretary level) entrusted with the work of Official Language Hindi in Ministries/ Departments are members of this Committee.

- (ii) केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 'पारंगत' शुरू करने का निर्णय लिया गया ।
- (iii) अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के बीच 48 नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गईं, जिससे उनकी कुल संख्या 445 हो गई हैं । ऐसे जिला मुख्यालयों/जिले के बड़े शहरों, जहां केंद्र सरकार के 10 अथवा अधिक कार्यालय हैं, प्रत्येक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने का लक्ष्य है ।
- (iv) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ।
- (v) मंत्रालयों/विभागों, उपकर्मों और बैंकों के सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं कार्यान्वयन की जा रही हैं । हिंदी दिवस समारोहों और क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों की पहचान करके सम्मानित किया जाता है।
- (vi) राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देने की बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है ।
- (vii) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग में एक केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति मौजूद है । मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्य के प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इस समिति के सदस्य हैं ।